सर्व शिक्षा अभियान

परियोजना 2002–2010

जिला - करौली

निर्देशन

ए0के0 हेमकार
निदेशक
राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

एम0एस0 खान
जिला कलेक्टर एवंअध्यक्ष
डी0पी0ई0पी0 करौली

परामर्श

रमेश चन्द शर्मा
सहायक निदेशक योजना
रा0प्रा0शिक्षा परिषद, जयपुर

रमेश चन्द्र शर्मा
जिला परियोजना समन्वयक
डी0पी0ई0पी0 करौली

योजना निर्माण

शीतल प्रसाद शुक्ला
कार्यकम सहायक
डी.पी.ई.पी. करौली

वासुदेव शर्मा
अध्यापक रा.उ.प्रा.वि. बरगमा

जितेन्द्र कुमार
अध्यापक रा.प्रा.वि. क्यारदाखुर्द

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC. No .....
Date .....

विषय सूची

1. जिला परिदृश्य

2. शैक्षिक परिदृश्य

3. योजना प्रक्रिया

4. सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

5. पहुंच और ठहराव

6. गुणवत्ता

7. विशिष्ठ फोकस समुह

8. अनुसंधान मूल्यांकन प्रबन्धन एवं प्रावधान

9. प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षयति विकास

10. निमार्ण कार्य

11. लागत मूल्यांकन

12. बार्षिक कार्ययोजना 2003–2004

13. वार्षिक कार्य योजना सर्व शिक्षा अभियान सत्र 2002–2010

14. सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन 2002–2010

अध्याय.1

जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका– करौली शब्द कर+औली से मिलकर बना है1 जिसका अर्थ छोटी तलवार (कटार) से है। राज्य छोटा होते हुए भी यह शक्तिशाली व सुरक्षित किला रहा है। तिमनगढ इसकी पूर्व की राजधानी में लाखो मूर्तिया सजीव स्वरूप की थी। किवदन्ती के अनुसार श्राप बस समस्त शहर वासी पत्थर के बन जाने से यहां मूर्तिया का खजाना बन गया है।

मूर्तियों को देखकर लगता है कि समस्त भारत की सुन्दर मूर्तियो को तोडने से बचाने के लिये यहां अत्यन्त जंगली क्षेत्र व सुरक्षित स्थान मानकर कालान्तर में छुपाया गया हो जिले के डांग क्षेत्र का प्राकृतिक सौन्दर्य भी देखने लायक है।

1•2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – करौली जिला पूर्व के दो राज्यो के अंश से बना हुआ है। जिसमें करौली राज्य के साथ जयपुर राज्य की तीन तहसील आती है। यह सवाईमाधोपुर जिले के दो उपजिले करौली व हिण्डौन से मिलकर बना है एवं गंगापुर की नादौती तहसील को जोडकर करौली जिला बनाया गया है।

राजा शासन काल में यादव वंश का राजा यहां राज्य करता था।मथुरा से चलकर महाराजा विजयपाल ने विजयमन्द्र गढ (वर्तमान में बयाना जो वर्तमान में भरतपुर जिले में है)। का सुरक्षित किला सम्वत 1048 में बनाया परिस्थितियो में तिमनगढ महाराजा तिमनपाल द्वारा बसाया गया और इसके बाद करौली राज्य की राजधानी करौली बनाई गई। लाल पत्थर से शहर की सुरक्षित व ऊची चार दीवार बनाई गई ।

1.3 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु:– करौली जिला 26 03 से 26 0 49 उत्तरी आंक्षाश तक तथा 76 0 35 से 77 0 26 पूर्वी देशान्तर के मध्य समुद्र तल से 400 से 600 मीटर की ऊचाई पर स्थित हैं। राज्य के दक्षिण पूर्व का सीमावर्ती यह जिला उत्तर पश्चिम में दौसा दक्षिण में सवाईमाधोपुर तथा उत्तर पूर्व में

भरतपुर की सीमाओ से लगा हुआ है। राज्य की प्रमुख चम्बल नदी इस जिले को मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से अलग करती हैं। इसका क्षेत्रफल पांच हजार सत्तर वर्ग किलोमीटर हैं । अधिकतर क्षेत्र पहाडी है। करौली सपोटरा मण्डरायल तहसील के साथ– साथ हिण्डौन तहसील की आठ ग्रामपंचायत पहाडी पथरीली ऊबड खाबड व भयानक डांग क्षेत्र है। जहां आने जाने के रास्ते अत्यन्त दुर्गम है।

इस जिले में कैलादेवी सैन्चुरी है। जो रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट (सवाईमाधोपुर) का हिस्सा है। कुल हिस्से का 24 प्रतिशत शुष्क डांग क्षेत्र है। इसमें प्रायः धौ , ढांक, खैर, बेर, छीले, करील आदि पाये जाते है। जो प्रायः इतने घने होते है कि इनके बीच से निकलना कठिन होता है। इन जंगलो में सांभर, नील गाय, हिरण, लोमडी, चीता, भालू ,गीदड तथ विभिन्न किस्म के पक्षी पाये जाते है। इन जंगलो में कई किलोमीटर तक आबादी नही होती है। डाकू लोग अपने छिपने का स्थान सुगमता से बना लेते है।

हिण्डौन तहसील की 43 ग्राम पंचायतें ,टोडाभीम व नादौती तहसील की भूमि काफी समतल व ऊपजाऊ है।

जलवायु सामान्य तथा शुष्क , उष्ण व जटिल जीवनयापन जैसा है यहां औसत वार्षिक वर्षा 26•88 सेन्टीमीटर है। औसत वर्षा काल 35 दिवस तथा तापमान 28 से 45 डिग्री सेल्सियस है।

1•4 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्यः– यह जिला सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछडे जिलो में आता है । डांग क्षेत्र होने के कारण यहां की सामाजिक व्यवस्थाऐं पिछडी हुई है। अनुसूचित जाति के लोग यहां की इन जातियो के रीति रिवाज खान पान रहन सहन व सामाजिक स्तर काफी नीचा है।इनके अनुसार ही यहां की अन्य जनता का सामाजिक स्तर पिछडा हुआ है। यहां बाल विवाह, पर्दाप्रथा, मृत्युभोज व अन्य सामाजिक बुराइया भरपूर मात्रा में पायी जाती

है। जीवन स्तर भी कमजोर है। अनुसूचित जन जाति में मीणा,व अनुसूचित जाति में रैवारी, जाटव, रैगर, खटीक,मेंहतर, कोली ,बनजारे आदि जातिया पाई जाती है। अन्य पिछडी जातियो में जाट ,गुर्जर, नाई, माली, कुम्हार, जोगी, सुथार ,संजोगी,तेली, फकीर आदि मौजूद है।

सवर्ण जातियो में ब्राहण , राजपूत, महाजन , जैन , मुसलमान आदि पाये जाते है। धर्म के अनुसार हिन्दू 94•29 प्रतिशत मुसलमान 5•30 प्रतिशत सिख •03 प्रतिशत जैन •36 प्रतिशत ईसाई •01 प्रतिशत बौद्ध व अन्य •01 प्रतिशत है। जिले में औद्यौगिक क्षेत्र न होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ है। डांग क्षेत्र व जंगली क्षेत्र होने एवं अन्य आवश्यक सुविधाओ के अभाव में जिला मुख्यालय केवल सडक मार्ग से जुडा हुआ है। रेल्वे सुविधा नही है। यहां की जनता मुख्य रूप से कृषि करती है जो ज्यादातर वर्षा पर आधारित है। कुछ क्षेत्रो में नहरो से सिचाई होती है। अब टयूब बैल भी लगने लगे है।

खदानो के माध्यम से भी आय होती है। लेकिन डाकुओ द्वारा बार बार उन्हें बन्द करने व श्रमिको को परेशान करने के कारण आधे समय ही काम कर आजीविका कमा पाते है। पशु पालन में कुक्कुट पालन करके भी जीवन यापन करते है। स्लेट व पत्थर व्यवसाय के माध्यम से आजीविका कमाने वाले भी यहां रहते है। खेतीहर मजदूर पारिवारिक उद्योग व अन्य छोटे मोटे कार्य करके यहां के लोग अपना जीवन यापन करते है। सामान्य रूप से जिले का आर्थिक विकास काफी पिछडा हुआ है।

1•5 व्यावसायिक स्वरूप :– यहां कार्यशील पुरूष 48•63 प्रतिशत तथा स्त्रिया 10. 64 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या के 31.30 प्रतिशत कार्यशील है।

	पुरूष	महिला	योग
कार्यशील	48.63	10.64	31.30
सीमान्त	1.43	19.19	9.53
अकार्यशील	49.94	70.16	59.16

अकार्यशील आधी से अधिक जनता होने के कारण एवं सीमान्त कार्यशील न्यूनतम होना यहां के व्यवसाय के गिरते हुए स्वरूप को प्रदर्शित करता है।

1.6 प्रशासनिक ढांचा :– इस जिले में पांच उपजिले तथा पांच खण्ड है। तथा छः तहसीले है। मण्डरायल तहसील उपजिला तो है लेकिन ब्लाक नही है। और नादौती तहसील ब्लाक भी है। उपजिला नही है। यहां 794 गांव है ।जो 1374 वासस्थान में बसे हुये है। 224 ग्राम पंचायत है तथा तीन शहरी क्षेत्र है जिनके 85 वार्ड है। ग्राम पंचायतो के 2531 वार्ड है।

प्रशासनिक विभाग	संख्या
उपजिला	05
खण्ड (ब्लाक)	05
तहसील	06
ग्राम	794
वासस्थान	1374
ग्प्रम पंचायत	224
शहरी क्षेत्र	03
ग्राम पंचायतो के वार्ड	2531
शहरी क्षेत्रो के वार्ड	85

(जिला जनगणना रिकार्ड 2001)

1.7 जन सांख्यिकीः— इस जिले में वर्तमान में 1205631 कुल जनसंख्या है। जिसमें 648837 पुरूष तथा 556794 स्त्रिया है। 1991 से कुल जनसंख्या में 277912 की वृद्धि हुई है जिसमें पुरूष 144635 तथा स्त्रिया 133277 है। कुल जनसंख्या वृद्धि की दर 29.96 पुरूषों में 28.69 तथा स्त्रियों में वृद्धि दर 31.47 रही है। महिला पुरूष अनुपात 840 से बढकर 858 हो गया है। जो महिला संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का प्रतीक है।

(अ) जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या	1991	2001	जनसंख्या वृद्धि	वृद्धि दर
योग	927719	1205631	277912	29.96
पुरूष	504202	648837	144635	28.69
महिला	423517	556794	133277	31.47
महिला पुरूष अनुपात	840	858	18	

(ब) ग्रामीण व शहरी जनसंख्या :—

खण्ड का नाम	ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
करौली	222579	121050	101529	66179	35156	31023	288758	156206	132552
हिण्डौन	261786	141549	120237	84784	45488	39296	346570	187037	159533
टोडाभीम	193908	103755	90153	20845	10944	9901	214753	114699	100054
सपोटरा	232453	125716	106737				232453	125716	106737
नादौती	123097	65179	57918				123097	65179	57918
योग	1033823	557249	476574	171808	91588	80220	1205631	648837	556794

(श्रोत प्रावधानिक जनगणना प्रतिवेदन 2001 राजस्थान)

सबसे अधिक आबादी वाला शहर हिण्डौन है जिसमें 84784 लोग है जो कुल जनसंख्या का 7.28 प्रतिशत है। तथा सबसे

छोटा शहर टोडाभीम है जिसकी जनसंख्या 20845 है जो कुल जनसंख्या का 1. 72 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी वाला ब्लाक हिण्डौन है जहां जनसंख्या 261786 है जो कुल जनसंख्या का 21.71 प्रतिशत है। तथा सबसे कम जनसंख्या वाला ब्लाक नादौती है जिसकी जनसंख्या 123097 जो कुल जनसंख्या का 10.21 प्रतिशत है।

(स) जनसंख्या जातिवार :– करौली जिले में अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या के 22•30 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में 23•77 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में 17•36 प्रतिशत है। अनुसूचित जन जाति के लोग यहां की कुल जनसंख्या के 25•26 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में 27•01 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 5•17 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग कुल जनसंख्या के 47•56 प्रतिशत है ।(1991 की जनगणनानुसार) सवर्ण जातियो में ब्राहण , राजपूत, महाजन , जैन , मुसलमान आदि पाये जाते है। धर्म के अनुसार हिन्दू 94•29 प्रतिशत मुसलमान 5•30 प्रतिशत सिख •03 प्रतिशत जैन •36 प्रतिशत ईसाई •01 प्रतिशत बौद्ध व अन्य •01 प्रतिशत है।

1.8 जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाएं–करौली जिला सामान्यतया अकाल एवं सूखे से ग्रस्त रहता है। अधिकाशं जनसंख्या कृषि एवं पशु पालन पर निर्भर है।राष्ट्रीय कृष्रि आयोग की अभिशषां पर इस क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न निकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है।इस समस्त विकास काय्रक्रम का मुख्य ध्येय मरूस्थल को बढने से रोकने एवं ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को उन्नत करना है। इन विकास कार्य्रक्रमो द्वारा पशुधन का संरक्षण प्रदान किया जाता हे।

(1) भूमिहीनो के लिए रोजगार कार्यक्रमः–वर्ष 1988–89 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित है।जिनके द्वारा भूमिहीन किसानो को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है ।

(2) जवाहर रोजगार योजनाः– इस योजना के अन्तर्गतग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से निर्माण एवं विकास कार्यो के साथ–साथ रोजगार सजृन किया जाता है । इस योजना मे राशि भारत सरकार से सीधे ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है । 50,000/–रूपये तक की राशि ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है । योजना मे 22.5 प्रतिशत राशि एस.सी./एस.टी. हेतु आरक्षित है । योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत राशि मरम्मत एंव रखरखाव पर व्यय की जा सकती है ।

जवाहर रोजगार योजना में कराये गये कार्यों का विवरणः–

सत्र	व्यय की गई राशि (लाख में)	किये गये कार्यो की संख्या
1998–99	206.55	462
1999–2000	252.32	314

(3) ट्राइसेम :–इस कार्यक्रम के तहत युवकों को तकनिकी प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के व्यवसायों हेतु दिया जाता है । जिसमें विद्युत फिटिंग, सामान्य मेकेनिक, हाथकर्घा, वेल्डिगं, टेलरिगं, मुर्गीपालन, टोकरी निर्माण,रेडियो मरम्मत आदि प्रशिक्षण सम्मिलित है ।

जिला प्रशासन का मुखिया जिला कलेक्टर है जो जिला मुख्यालय पर कार्य की देखरेख करता है। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन, सहायक जिला कलेक्टर आदि होते है। उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड मजिट्रेट, तहसील स्तर पर तहसीलदार व नायब तहसीदार होते है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अतिरिक्त

कलेक्टर एवं पदेन निदेशक होता हैं तथा जिला परिशद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है।

पंचायत समिति पर विकास कार्यो की देखरेख के लिए विकास अधिकारी नियुक्त किये गये है जिले में 5 विकास अधिकारी नियुक्त है।

पुलिस प्रशासन का मुखिया पुलिस अधीक्षक है। इसकी सहायता हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप अधीक्षक नियुक्त है।

1.9 जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाएं (शिक्षा सम्बन्धित)

जिले में स्थापित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 0–6 व 6–14 वर्ष आयु वर्ग के लिए अनेक योजनाएं इस प्रकार है :–

1.9.1 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं – सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुख्यतः बालक–बालिकाओं के लिए तीन योजनाएं संचालित की जाती है।

(अ)**बालिका समृद्धि योजना** – इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गर्भवती महिला के प्रथम दो बालिका के जन्म तक प्रत्येक बालिका के जन्म पर 500 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि उसकी माता को दी जाती है। आवश्यक शर्त यह है कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे चयनित हो तथा यह लाभ प्रथम दो बालिकाओं के समय तक ही सीमित है। चाहे परिवार के बच्चों की संख्या कितनी ही हो। आवेदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देना होता है। ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृति जारी की जाकर राशि का भुगतान बालिका की माता को किया जाता है।

(ब)राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम – राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/ अनुदानित/ स्वायत्तषाशी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजीव गांधी पाठशालाओं, वैकल्पिक विद्यालयों, मदरसों व संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण, प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन वृद्धि करना, विद्यार्थियों का विद्यालयों में ठहराव निश्चित करना तथा पोष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

मध्यान्तर में प्रति बालक–बालिका 100 ग्राम घूघरी पकाकर बालक– बालिका को खिलाया जाता है। गेहूं वितरण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी प्राथमिक शिक्षा की देखरेख में किया जाता है।

1.9.2.राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना – मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को एक मुश्त नकद सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

मातृत्व लाभ पहले दो जीवित बच्चों वाली उन गर्भवती हिलाओं को दिया जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो तथा यह 1997 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवार की सूची में शामिल है। मातृत्व लाभ प्रसव से 12 से 8 सप्ताह पहले एक ही किश्त में दिया जाता है। परन्तु यह सहायता गर्भ के उपरान्त भी देय है। यह वांछनीय हैं कि शिशु जन्म के समय शिशु की ओरल पोलियों तथा

बीसीजी के टीके की एक–एक खुराक तथा छठे सप्ताह में डीपीटी और पोलियों की पहली खुराक दे दी जानी चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका/नगर निगम/नगरपरिशद में आवेदन पत्र दिये जाने चाहिए। यह लाभ दो जीवित बच्चों तक प्रत्येक गर्भ पर 500 रुपये देयहै।

<u>विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम</u> (एम.एल.ए.एल.ए.डी.) –

यह योजना अप्रेल 1999 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जनोपयोगी परिसम्पतियों के निर्माण करने के लिए स्थानीय विधायक की अभिशंशा पर कार्य कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक विकास के लिए निम्न कार्य करवाये जा सकते है।

- राजकीय शिक्षक संस्थाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य।
- पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य।
- चारदीवारी का निर्माण।
- स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण।
- शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर।
- राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए अध्ययन–अध्यापनसामग्री /स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी आदि का कय। प्रत्येक विधानसभा सदस्य अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 60.00 लाख रुपये तक की

जनोपयोगी परिसम्पतियां निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित करते है।

1.9.3. <u>सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना</u> (एम.पी.एल.ए.डी.) – भारत सरकार द्वारा यह योजना 1993–94 में लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता आधारित विकास कार्य कर जन उपयोगी एवं टिकाऊ सम्पतियों का सृजन करना है।

इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 2.00 करोड़ रुपये आवंटित किये जाते है। सांसद द्वारा की गई अनुशंशा के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण कर सामान्यत 45 दिन की अवधि में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक विकास हेतु निम्न कार्य करवाये जा सकते है। विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय विकास के अधीन है।

ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों, व्यायाम केन्द्रों, खेलकूद संघों शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति है। सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय का निर्माण।

- शिशुगृह एवं आंगनबाड़ियों का निर्माण।
- आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण।
- उच्च विद्यालयों में छात्र क्लब की स्थापना।
- हाई स्कूल/कालेज में कम्प्यूटर व्यवस्था।

अध्याय 2

शैक्षिक परिदृश्य

2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास – शैक्षिक दृष्टि से करौली जिला काफी पिछड.ा रहा है यहां साक्षरता दर काफी कम रही है । करौली राज्य में 1870 तक केवल चट शालाओं के माध्यम से अक्षर ज्ञान लिखना पढना सीखाया जाता था 1871 में अंग्रेजी एंव पारसी स्कूल प्रारम्भ किया गया जिसमें मातृ 16 छात्र अध्ययन करने पाले थे यहां 1 हाई स्कूल व कन्या शाला की स्थापना हुई जिसमें 5 बडे. गांवो से (मण्डरायल ,कुरगांव ,करणपुर,सपोटरा ,मासलपुर) 1905–06 तक अध्ययन करने बालक आते थे क्योंकि इन गांवो में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय थे । करौली राज्य में 31 अक्टूबर 1906 में कुल 503 छात्र थे गांवो के स्कूल हाई स्कूल के अध्यापको द्वारा वर्ष में दो बार जांच किये जाते थे व उन्हे शैक्षिक उन्नयन हेतु जानकारी 1906–07 तक दी जाती थी 31 अक्टूबर 1907 में यह छात्र संख्या 827 हो गई 1907–08 में करौली राज्य के प्रशासनिक रिपोर्ट में कहा गया था । बालिका शिक्षा कोई प्रगति नहीं कर सकी क्योंकि यहां बालिकाओं के प्रति सोच अच्छी नहीं बन पाई ।

1911–12 में हिन्दी कक्षा की संख्या बढने पर महुआ (वर्तमान में जिला दौसा) उच्च प्राथमिक स्कूल खोला गया इसकी प्रशासनिक व्यवस्था करौली हाई स्कूल द्वारा सचांलित होती थी 1913–14 में मुफलिसी स्कूलो के लिए इस्पेक्टर लगाए गए यहां कालेज की स्थापना हुई और लम्बे समय तक यह डीग्री कालेज रहा । बाद में यह अधिस्नात्तक में कमोन्नत किया गया । शिक्षा के क्षेत्र में विकास मंथर गति से हुआ

2.2 साक्षरता दर :–जिले की कुल साक्षरता दर 50.97 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 64.43 प्रतिशत तथा महिला 34.22 प्रतिशत है ग्रामीण क्षैत्रो में कुल 50.31 प्रतिशत जिनमें पुरूष 67.97 प्रतिशत व महिला मात्र 30.43 प्रतिशत साक्षर है शहरी क्षैत्र में कुल 56.84 प्रतिशत जिनमें प्ररूष 68.87 प्रतिशत तथा महिला 43.24 प्रतिशत साक्षर है ।

साक्षरता दर

खण्ड का नाम	कुल साक्ष्रता दर			साक्षरता दर ग्रामीण			साक्षरता दर शहरी		
	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
करौली	46.91	60.51	30.88	44.98	59.34	27.86	53.39	64.53	40.75
हिण्डोन	58.68	69.37	46.15	57.95	68.69	45.31	60.92	71.45	48.73
टोड़ाभीम	50.22	65.65	32.53	49.57	65.12	31.68	56.31	70.65	40.25
सपोटरा	46.44	60.50	29.89	46.44	60.50	29.89	—	—	—
नादौती	52.62	66.12	31.68	52.62	16.12	37.43	—	—	—
कुल	50.97	64.43	34.22	50.31	63.97	30.43	65.84	68.87	43.24

स्रोत :– जनगणना 2001

हिण्डोन खण्ड में साक्षरता दर सर्वाधिक व पुस्ष एंव महिलावार साक्षरता दर सबसे अधिक है ग्रामीण उंव शहरी साक्षरता दर में भी हिण्डोन सबसे आगे है जबकि सपोटरा कुल साक्षरता दर में सबसे पिछे है । ग्रामीण क्षैत्र में महिला एंव पुरूष साक्षरता दर करौली की सबसे कम है । जबकि शहरी क्षैत्र में करौली की योग में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है तथा पुरूषो में भी यह दर सबसे कम है ।शहरी क्षैत्र में टाड़ाभीम की महिला साक्षरता दर सबसे कम है ।

2.3 शैक्षिक सुविधाएं

सस्थांन	सरकारी	निजी	कुल
प्राथमिक विद्यालय	581	91	672
राजीव गाधीं पाठशाला	545	0	545
शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय	96	0	96
कुल प्राथमिक विद्यालय	1221	91	1312
उच्च प्राथमिक विद्यालय	271	307	578
शिक्षाकर्मी उच्च प्राथमिक विद्यालय	03	0	03
संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय	03	02	05
कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय	277	309	586
माध्यमिक विद्यालय	87	45	132
प्रवेशिका विद्यालय	02	0	02
उच्च माध्यमिक विद्यालय	36	7	43
उपाध्याय विद्यालय	0	1	1

श्रोत :– जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एंव माध्यमिक

2.4 नामांकन

2.4.1 आयुवार नामांकनः—

ग्रामीण

ब्लॉक	वक्षा 1 से 5			वक्षा 6 से 8			कुल योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
करौली	23738	19398	43136	4245	1028	5273	27983	20426	48409
हिण्डौन	27104	21057	48161	5748	2029	7777	32852	23086	55938
सपोटरा	23465	19147	42612	4353	1316	5669	27818	20463	48281
टोडाभीम	18910	16783	35693	4170	1663	5833	23080	18446	41526
नादौती	11803	10545	22348	2956	1414	4370	14759	11959	26718
कुल	105020	86930	191950	21472	7450	28922	126492	94380	220872

श्रोत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक

शहरी

ब्लॉक	वक्षा 1 से 5			वक्षा 6 से 8			कुल योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
करौली	6025	4791	10816	956	389	1345	6981	5180	12161
हिण्डौन	4138	3315	7453	848	313	1161	4986	3628	8614
टोडाभीम	1342	1266	2608	333	124	457	1675	1390	3065
कुल	11505	9372	20877	2137	826	2963	13642	10198	23840

कक्षावार नामांकन की तालिकाओं को देखने से पता चलता है कि कक्षा 1 से 5 तक 105020 बालक एवं 86930 बालिकायें कुल 191950 बालक बालिकायें नामांकित हैं । जो संख्या से हिसाब से काफी कम है । कक्षा 6 से 8 की संख्या में बालक 21472 व बालिका 7450 कुल 28922

बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं ये ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट करती हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की संख्या काफी कम है और बालिकाओं की संख्या नगन्य है ।

शहरी क्षेत्र में 11505 बालक 9372 बालिकायें कुल 20877 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं तथा 2137 बालक 826 बालिकायें कुल 2963 बालक बालिकायें कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत है इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालक बालिकायें बहुत कम अध्ययन कर पाते हैं । इसके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है ।

एस.सी. नामांकन

ग्रामीण

ब्लॉक	वक्षा 1 से 5			वक्षा 6 से 8			कुल योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
करौली	6000	4552	10552	760	151	911	6760	4703	11463
हिण्डौन	10039	6956	16995	1620	401	2021	11659	7357	19016
सपोटरा	5622	4363	9985	776	149	925	6398	4512	10910
टोडाभीम	5107	4192	9299	920	235	1155	6027	4427	10454
नादौती	2528	2173	4701	489	200	689	3017	2373	5390
कुल	29296	22236	51532	4565	1136	5701	33861	23372	57233

एस.सी. नामांकन

शहरी

ब्लॉक	वक्षा 1 से 5			वक्षा 6 से 8			कुल योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
करौली	1045	818	1863	154	48	202	1199	866	2065
हिण्डौन	1585	1291	2876	308	79	387	1893	1370	3263
टोडाभीम	273	200	473	92	6	98	365	206	571
कुल	2903	2309	5212	554	133	687	3457	2442	5899

करौली जिले में अनुसूचित जाति की संख्या भी काफी है लेकिन शिक्षण की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है । कक्षा 1 से 5 तक 29296 बालक 22236 बालिका कुल 51532 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक 4565 बालक 1136 बालिका 5701 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से अत्यन्त कम शिक्षण कर पा रही हैं ।

शहरी क्षेत्र में भी कक्षा 1 से 5 तक 2903 बालक 2309 बालिका कुल 5212 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक 554 बालक 133 बालिका कुल 687 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं इस क्षेत्र में अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

एस.टी. नामांकन
ग्रामीण

ब्लॉक	वक्षा 1 से 5			वक्षा 6 से 8			कुल योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
करौली	4414	3610	8024	900	247	1147	5314	3857	9171
हिण्डौन	4133	3818	7951	1323	619	1942	5456	4437	9893
सपोटरा	8747	7495	16242	2073	607	2680	10820	8102	18922
टोडाभीम	6062	5852	11914	1702	900	2602	7764	6752	14516
नादौती	2516	2515	5031	756	486	1242	3272	3001	6273
कुल	25872	23290	49162	6754	2859	9613	32626	26149	58775

एस.टी. नामांकन

शहरी

ब्लॉक	वक्षा 1 से 5			वक्षा 6 से 8			कुल योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
करौली	185	114	299	62	16	78	247	130	377
हिण्डौन	71	41	112	24	5	29	95	46	141
टोडाभीम	352	346	698	112	52	164	464	398	862
कुल	608	501	1109	198	73	271	806	574	1380

अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी नामांकन देखने से पता चलता है कि कक्षा 1 से 5 तक 25872 बालक 23290 बालिका कुल 49162 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं कक्षा 6 से 8 तक 6754 बालक 2859 बालिकायें कुल 9613 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं जो संख्या के अनुपात से अत्यन्त कम

है इस क्षेत्र में अधिक कार्य करना होगा । तभी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सकेगी ।

शहरी क्षेत्र में भी 608 बालक 501 बालिका 1109 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक 198 बालक 73 बालिका तथा 271 बालक बालिकायें अध्ययनरत हैं इस संख्या को देखने से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र में भी अनुसूचित जन जाति के बालक बालिकायें अध्ययन नहीं कर रहें हैं ।

विद्यालयों में 6 से कम आयु वर्ग के बालको को प्रवेश प्रथम कक्षा में न देकर उन्हें अनामांकित रखा जाता है। उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जानकारी तो दी जाती है। लेकिन प्रथम कक्षा में 6 वर्ष की आयु होने पर ही नामांकित किया जाता है। और बालक चौदह वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व ही विद्यालय छोडकर पारिवारिक व्यवस्थाओं में सहयोग हेतु लग जाते है। चौदह वर्ष के बाद कोई भी बालक उच्च प्राथमिक कक्षा में अध्ययन करता नजर नही आता हैं। आर्थिक परिस्थितिया बालको को विद्यालय छोडने पर मजबूर करती है।

2.5 अनामांकित बालको की सूचना

क0सं0	खण्ड का नाम	6–11 वर्ष के अनामांकित			11–14 वर्ष के अनामांकित		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्र	योग
01	करौली	1273	3180	4453	983	2010	2993
02	हिण्डौन	843	1323	2166	518	913	1431
03	टोडाभीम	366	1414	1780	270	1071	1341
04	सपोटरा	1460	3631	5091	867	2051	2918
05	नादौती	154	587	741	120	555	675
	योग	4096	10135	14231	2758	6600	9358

श्रोत शिक्षा सर्वे दर्पण 2001

तालिका को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि सपोटरा क्षेत्र में सर्वाधिक अनांमाकित बालक बालिका है। करौली में भी बालिकाऐं अधिक अनामांकित है। हिण्डौन के डांग क्षेत्र के कारण छात्राओ की संख्या अधिक अनामांकित है। इन क्षेत्रो में नामांकन करने हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है। नादौती खण्ड में सबसे कम अनामांकित बालक बालिका है । यह खण्ड भी छोटा है। जिले में कुल 6–14 आयु वर्ग के कुल 23589 जिनमें 6854 बालक एवं 16735 बालिकाए अनामांकित हैशुद्ध नामांकन दर = 6से14 आयु वर्ग के बालक (100 मानकर) – 6से14 आयुवर्ग के वंचित बालको का प्रतिशत

= 100 – 9.6 = 90.4

जिलें की शुद्ध नामांकन दर 90.4 प्रतिशत है जो कि प्रगति का प्रतीक है। भविष्य में नामांकन दर को 100 प्रतिशत करने के लिये प्रयास करना है। और ठहराव बनाये रखने के लिये प्रयास करने है।

2.6 सकल नामांकन अनुपात

क0सं0	विवरण	जनसंख्या 6–14	नामांकन 1–8	सकल नामांकन अनुपात
01	बालक	143760	140134	97.47
02	बालिका	121495	104578	86.07
03	योग	265255	244712	92.25

तालिका को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि बालको का सकल नामांकन अनुपात 97.47 प्रतिशत है । जिसे 100 प्रतिशत कम प्रयास से किया जा सकता है लेकिन बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 86.07 प्रतिशत है इसे 100 प्रतिशत के लिये भारी प्रयासों की आवश्यकता है।

2.7 ठहराव दर

क0सं0	विवरण	1994 में कक्षा 1 में नामांकन	2001–02 में कक्षा 8 में नामांकन	ठहराव दर
01	बालक	9747	6498	66.66
02	बालिका	3258	1128	34.62
03	योग	13005	7626	58.62

उक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि बालको की ठहराव दर तो कम है ही लेकिन बालिकाओ की ठहराव दर अत्यन्त चिन्तनीय है । इसके लिये शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये शिक्षको को प्रशिक्षण देना व जनता में चेतना जागृत करना जनसहभागिता का सहयोग लेना आवश्यक प्रतीत होता है। विद्यालय का वातावरण भयमुक्त आनन्दमयी बनाना होगा।

2.8 पुनरावृत्ति दर

क0सं0	विवरण		गत वर्ष का नामांकन	उत्तीर्ण	इस वर्ष पुनरावृत्ति	पुनरावृत्ति दर
01	कक्षा–1	छात्र	39250	29267	8629	21.98
		छात्रा	26167	19511	5919	22.62
		योग	65417	48778	14548	22.24
02	कक्षा–2	छात्र	31916	24634	3427	10.74
		छात्रा	17186	13265	1999	11.65
		योग	49102	37899	5426	11.05
03	कक्षा–3	छात्र	24774	16576	2883	11.64
		छात्रा	13340	8925	1429	10.71
		योग	38114	25501	4312	11.31
04	कक्षा–4	छात्र	16970	13049	2347	13.83
		छात्रा	8742	6722	1178	13.47
		योग	25712	19771	3525	13.71
05	कक्षा–5	छात्र	13349	8605	2040	15.26
		छात्रा	6575	4239	805	12.25
		योग	19924	12844	2845	14.28
06	कक्षा–6	छात्र	9754	9032	731	7.50
		छात्रा	3251	3011	205	6.33
		योग	13005	12043	936	7.20
07	कक्षा–7	छात्र	9550	5948	1188	12.45
		छात्रा	2694	1678	260	9.68
		योग	12244	7626	1448	11.83
08	कक्षा–8	छात्र	8129	5733	1382	17.01
		छात्रा	1407	1012	153	10.94
		योग	9536	6745	1535	16.10
09	योग	छात्र	153692	112844	22407	14.57
		छात्रा	79362	58363	11868	14.95
		योग	233054	171207	34275	14.70

श्रोत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक व माध्यमिक

तालिका 2.8 को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि कक्षा–1 में पुनरावृत्ति दर सर्वाधिक है। इसके बाद बालक अनुत्तीर्ण होने पर पुनः विद्यालय में प्रवेश नही लेते है।छात्राओ की स्थिति छात्रो की अपेक्षा अधिक गंभीर है। बालको को आनन्दायी व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जिससे परिक्षा परिणाम अच्छे रहे। और बालको का अध्ययन जारी रहें।

2.9 संक्रमण दर

क0सं0	कक्षा	वर्ष 2000–01 में प्रवेश लेने वाले बालको की संख्या	कक्षोन्नति प्राप्त कर वर्ष 2001–02 में अगली कक्षा में पढने वाले बालको की संख्या	संक्रमण दर
01	1–2	65417	48778	25.43
02	2–3	49102	37899	42.06
03	3–4	38114	25501	61.10
04	4–5	25717	19771	69.77
05	5–6	19924	12844	80.36
06	6–7	13005	12043	81.59
07	7–8	12244	7626	88.34

बालको की कक्षा 1व 2 में अगले कक्षा में जाने की दर बहुत कम है। जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओ में कक्षा उन्नत दर ठीक है। वास्तव में हमें शत प्रतिशत कक्षा उन्नति की स्थिति बनाने के लिये बहुत अधिक प्रयास करना पडेगा।

2.10 अध्यापको का विवरण

2.10.1 विद्यालय वार विवरण

ग्रामीण

ब्लॉक	प्रा.पा.			उच्च.प्रा.पा.			कुल योग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
करौली	606	103	709	452	55	507	1058	158	1216
हिण्डौन	585	92	677	688	82	770	1273	174	1447
सपोटरा	581	47	628	518	35	553	1099	82	1181
टोडाभीम	585	44	629	497	67	564	1082	111	1193
नादौती	327	13	340	421	49	470	748	62	810
कुल	2684	299	2983	2576	288	2864	5260	587	5847

शहरी

ब्लॉक	प्रा.पा.			उच्च.प्रा.पा.			कुल योग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
करौली	54	48	102	162	60	222	216	108	324
हिण्डौन	75	30	105	125	34	159	200	64	264
टोडाभीम	21	8	29	51	1	52	72	9	81
कुल	150	86	236	338	95	433	488	181	669

श्रोत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक

सपोटरा परिक्षेत्र काफी बडा होने के बावजूद भी वहां महिला शिक्षको का भारी अभाव है। इसलिये महिला अध्यापको की नियुक्ति करके महिला शिक्षा को बढावा दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति

ग्रामीण

ब्लॉक	प्रा.पा.			उच्च.प्रा.पा.			कुल योग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
करौली	100	1	101	54	5	59	154	6	160
हिण्डौन	112	4	116	86	6	92	198	10	208
सपोटरा	90	2	92	73	2	75	163	4	167
टोडाभीम	84	2	86	52	4	56	136	6	142
नादौती	40	4	44	58	3	61	98	7	105
कुल	426	13	439	323	20	343	749	33	782

शहरी

ब्लॉक	प्रा.पा.			उच्च.प्रा.पा.			कुल योग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
करौली	3	3	6	10	0	10	13	3	16
हिण्डौन	11	0	11	9	0	9	20	0	20
टोडाभीम	5	2	7	8	0	8	13	2	15
कुल	19	5	24	27	0	27	46	5	51

श्रोत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक

अनुसूचित जन जाति

ग्रामीण

ब्लॉक	प्रा.पा.			उच्च.प्रा.पा.			कुल योग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
करौली	111	6	117	64	10	74	175	16	191
हिण्डौन	107	2	109	99	6	105	206	8	214
सपोटरा	191	17	208	148	13	161	339	30	369
टोडाभीम	212	7	219	147	21	168	359	28	387
नादौती	104	3	107	113	5	118	217	8	225
कुल	725	35	760	571	55	626	1296	90	1386

शहरी

ब्लॉक	प्रा.पा.			उच्च.प्रा.पा.			कुल योग		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
करौली	0	2	2	28	3	31	28	5	33
हिण्डौन	1	0	1	36	4	40	37	4	41
टोडाभीम	2	2	4	26	3	29	28	5	33
कुल	3	4	7	90	10	100	93	14	107

श्रोत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No .....
Date .....

2.10.2 शिक्षको का कक्षानुसार विभाजन

विद्यालय	1 अध्यापक	2 अध्यापक	3 अध्यापक	4 अध्यापक	5 अध्यापक	6 अध्यापक	7 अध्यापक	8 अध्यापक	8 अ अ
प्रा0 वि0	–	254	180	144	13	–	–	–	–
उ0प्रा0 वि0	–	–	21	44	68	44	49	85	1
रा0गा0 पा0	495	50	–	–	–	–	–	–	–
शिक्षाकर्मी विद्याालय	–	28	50	05	02	01	–	–	–
संस्कृत विद्यालय	–	04	02	02	02	02	–	–	–
कुल	495	336	253	195	85	47	49	85	1

प्राथमिक विद्यालयों में तो शिक्षको की दो के हिसाब से आपूर्ति है। लेकिन 133 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में छः से कम अध्यापक है। राजीव गांधी पाठशालाओ में 495 पाठशाला एकल अध्यापक ही है। अध्यापको की आवश्यकता शिक्षा के उन्नयन हेतु है।

2.11 <u>निजी क्षेत्र के विद्यालय</u> – जिले में निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने भी एक अच्छा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। प्राथमिक विद्यालय जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में स्थापित है और शत–प्रतिशत नामांकन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहें है।

निजी क्षेत्र के विद्यालय इस प्रकार है :–प्राथमिक विद्यालय – 91

- उच्च प्राथमिक विद्यालय – 307
- संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय – 02

2.12–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानः–जिले में प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षको को शिक्षण की नवीन विधाओं एवं नवाचारो की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 1989–90 से जिला मुख्यालय पर स्थित है । राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के निर्देशन में शिक्षको के शैक्षिक संबलन का महत्वपुर्ण दायित्व निर्वहन करने वाले इस संस्थान में शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक सुविधाओं एवं भौतिक संसाधनो का नितांत अभाव है । इस संस्थान को सशक्त बनाए जाने एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षको बेहतर प्रशिक्षण आयोजित करने का दायित्व डाईट के माध्यम से करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है ।

2.13 विद्यालयो की भौतिक स्थिति :–करौली जिला शिक्षण सस्थाओं के दृष्टिकोण से अभी भी एक पिछड़ा हुआ जिला है । यहां के राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षण सस्थाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । अधिकाशं विद्यालयो में कक्षा कक्षो का जहां अभाव है वहीं उपलब्ध कक्षा कक्षो मे फर्श, छत एंव दीवारे जीर्ण शीर्ण अवस्था मे है । कक्षा कक्षो मे श्यामपट्ट की स्थिति भी अध्यापन के अनुकूल नहीं है । विद्यालयो मे खेल संसाधनो की बात तो दूर चारदीवारी तक उपलब्ध नहीं है । बालिकाओं के शिक्षण, नामांकन एवं ठहराव हेतु पृथक शौचालय होना नितान्त आवश्यक है परन्तु अधिकाशं विद्यालयो मे शौचालय सुविधा ही उपलब्ध नहीं है । विकलांग बालको को बालको को विद्यालय मे आसानी से अपनी ट्राई साईकिल अथवा सहायक उपकरणो के माध्यम से पहुंचने में असुविधा होती है अतः विकलांग बालक रैम्पस् सुविधा के अभाव मे पलायन कर जाते है । इस अभियान के तहत 200 विद्यालयो में आवश्यकतानुसार रैम्पस् का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है । जिले में राजीव गांधी 218 पाठशालओं को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जावेगा । विद्यालयो की संख्या के दृष्टि से भी जिले मे प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय उचित अनुपात मे नहीं है अतः सन् 2003–04 तक 3 प्राथमिक

विद्यालयो को उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे कमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है । जिले के अधिकाशं विद्यालयो मे पेयजल की सुविधा का अभाव है अथवा अपर्याप्त है । अभियान के तहत 100 विद्यालयो मे आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प व 45 विद्यालयों में नल कनेक्शन तथा जल भण्डारण हेतु पानी की टकीं निर्मित की जानी प्रस्तावित की गई है । विद्यालयों की जीर्ण शीर्ण हालात के मध्य नजर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को रखरखाव हेतु 5000 रूपये प्रतिवर्ष परियोजना अवधि के दौरान दिया जाना प्रस्तावित है । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे भावी नामाकनं वृद्धि का आकलन कर आवश्यकतानुसार 500 अतिरिक्त कक्षा कक्षो का निर्माण व 250 शौचालय, लघु मरम्मत 70 और 250 कमरों में दीर्घ मरम्मत किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

2.14 प्रा.शि. का प्रशासनिक ढांचा :–

जिले में प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन के दो स्तर है ग्रामीण क्षेत्रो के प्राथमिक विद्यालय पंचायत राज विभाग के अधीन हे वहीं शहरी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ग्रामीण उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित है । शैक्षणिक प्रबधंन जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन है । जिला एव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं

जिला परिषद् तथा पचांयत समितियां,पचांयत राज विभाग के अधीन है ।प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है ।

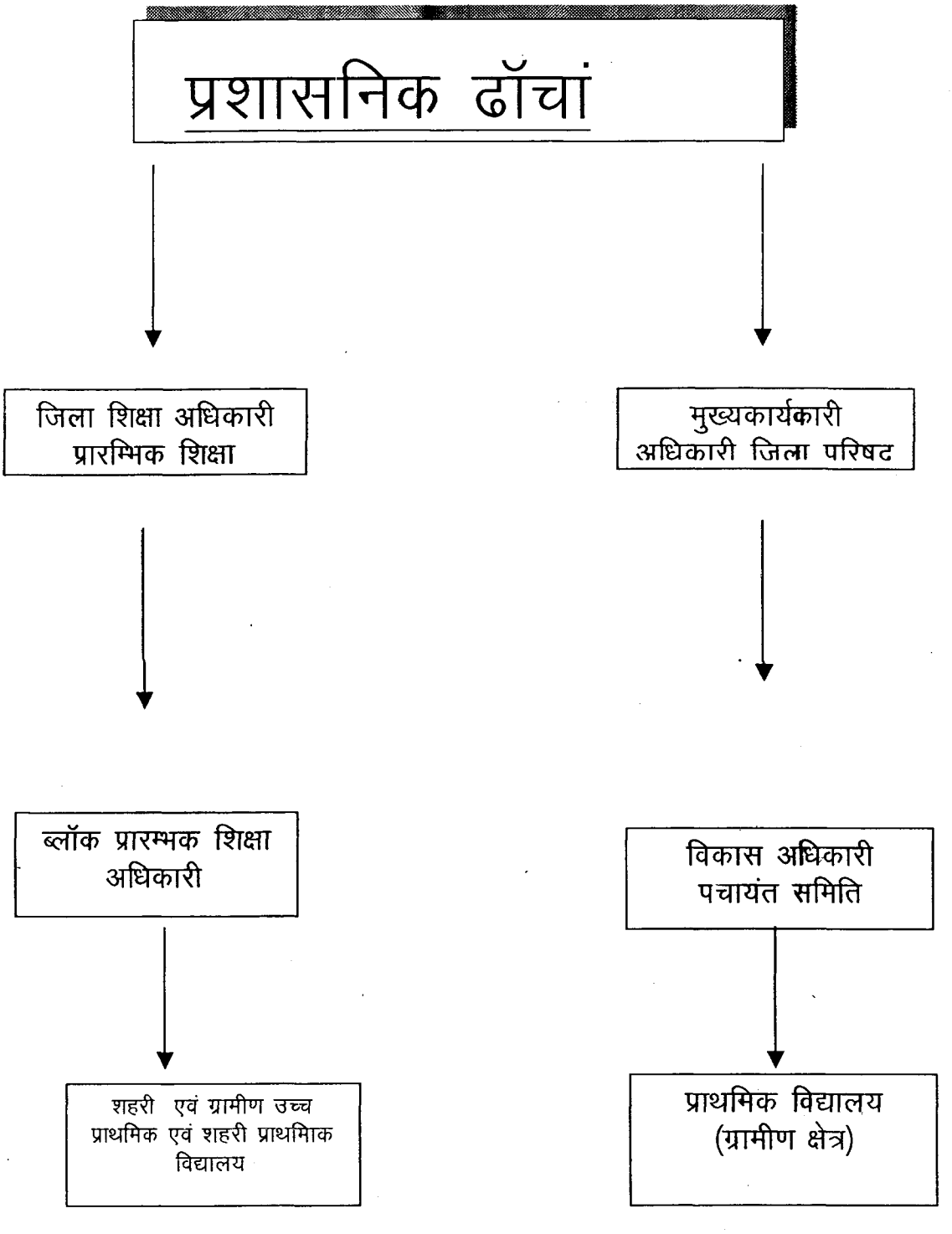

2.15 अन्य योजनाएंः–

(क)जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अन्तर्गत 6से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन, अधिकतम ठहराव एवं शिक्षा की गुणवता में सुधार के साथ –साथ शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा तन्त्र के सुदृढीकरण के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करौली जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी.ई.पी.) 5 सितम्बर 2001 से प्रारम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के वचिंत एवं पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं ठहराव तथा उपलब्धि के क्षेत्र में अन्तर को 15 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है । शैक्षिक संबलन, बाल केन्द्रित व क्रिया आधारित आनन्ददायी शिक्षा प्रणाली लागु करने के साथ साथ बालिका शिक्षा पर विशेष प्रयास किये जा रहे है। विद्यालयों में भौतिक संसाधनो की उपब्धता, भवन निर्माण एवं मरम्मत के कार्य भी इस कार्यक्रम के माध्यम से करवाये जा रहे है।

(ख) एकीकृत बाल विकास योजनाः–(आई.सी.डी.एस.):–

जिला महिला एवं बाल विकास के माध्यम से जिले में 786 आंगन बाड़ी केन्द्र संचालित है ।इन केन्द्रो पर महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य परिक्षण के अतिरिक्त 0से 6 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2001 से इन केन्द्रो को डी.पी.ई.पी.के माध्यम से संबलन प्रदान कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के प्रयास किये जा रहे है ।केन्द्रो पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओ को अतिरिक्त मानदेय प्रशिक्षण दिया जाकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सशक्त बनाया जा रहा है ।

(ग) शिक्षा कर्मी विद्यालयः—करौली जिल का अधिकाशं भाग डांग व पहाडी क्षेत्र है तथा अधिकाशं जनसंख्या कृषि आधरित हाने के कारण ग्रामीण लोग खेतो ,ढाणियों एवं नगरो में निवास करते है । ऐसे लोगो के बालक बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानो पर जिले के चार ब्लॉक में शिक्षण सुविधा शिक्षा कर्मी विद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। जिनका पर्यवेक्षण एवं निर्देशन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन है। वर्तमान में राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर के माध्यम से 86 प्राथमिक एवं 03 उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा कर्मी विद्यालय संचालित है।

(घ) आपरेशन ब्लैक—बोर्ड विस्तार योजनाः—प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सामग्री एवं भौतिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1996—97 से जिले में आपरेशन ब्लैक—बोर्ड योजना प्रारंभ की गई । इस योजना के माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दरी पट्टीयां ,बाल साहित्य, फर्नीचर आदि शिक्षण सामग्री भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई है।

(ड़) राष्ट्रीय पोषहार योजना :—जिले के राजकिय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाओं को 3 किलोग्राम गेहूँ प्रति विद्यार्थी प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है ।माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2002 से जिले के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र—छात्राओं को गेहूँ की घूघरी के रुप में पकाकर वितरित किया जा रहा है । जिले में नामांकन एवं ठहराव के क्षेत्र में इस प्रकार तैयार पोष्टिक आहार वितरण सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

(च)शिक्षा आपके द्वारः–

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जिले में 19 नवम्बर 2001 से शिक्षा आपके द्वार नामक अभियान का प्रथम चरण शत प्रतिशत नामांकन के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया । शिक्षा दर्पण–2000 शैक्षिक सर्वे के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के प्राप्त आंकड़ो को अद्यतन किया गया जिसके अनुसार जिले में 6 से 14 आयु वर्ग्र के 6854 बालक एवं 16735 बालिकाएं अनामांकित चिन्हीत किए गए ।

(छ)समाज कल्याण विभागः–जले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विकंलाग बालक बालिकाओं को छात्रवृतियां उपलब्ध करवाई जाती है। इन वर्गो के छात्र–छात्राओं की शिक्षण सुविधा के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास चलाये जा रहे है।

शिक्षा विभाग के माध्यम से आयकर नही देने वाले अभिभावको के आश्रितो को छात्रवृत्ति दी जाती है। पूर्व सैकण्डरी छात्रवृत्ति में कक्षा 6 से 8 तक पढने वाले छात्रो को 15 रूपये प्रतिमाह व छात्राओ को 20 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है।

स्वच्छकार छात्रवृत्ति शौचालय की सफाई करने वाले चमडा उतारने वाले एवं सफाई कार्य से जुडे व्यक्तियो को छात्रवृत्ति देय है। कक्षा 1से 5 तक 25 रूपये प्रतिमाह तथा 6 से 8 तक 40 रूपये प्रतिमाह देय है। अनुदान प्रत्येक छात्र को 500 रूपये तदर्थ अनुदान देय है।

<u>विकलांग कल्याण योजना</u> – शिक्षण संस्थानो में नियमित अध्ययन करने वाले छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 40000 रूपये से अधिक

नही हो उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 तक 40 रूपये प्रतिमाह तथा 5 से 8 तक 50 रूपये प्रतिमाह दी जाती है। विकलांगो को निःशुल्क कृत्रिम उपकरण दिये जाते है।

अध्याय–3

योजना प्रक्रिया

3.1 भूमिका

प्राथमिक शिक्षा आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता शिक्षा के सार्वजनीनकरण एवं सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलबध कराने के लिए सर्वशिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है इस हेतु डीपीईपी के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों प्रधानाध्यापकों अन्य कर्मचारियों विकास अधिकारी जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी स्कूल प्रबन्धन समिति आदि सभी की बैठकें सैमिनार कार्यशाला आयोजित की गई । इनमें प्रारम्भिक शिक्षा से जुडी विभिन्न समस्याओं, असुविधाओं, सुविधाओं की सुलभता, विधालय में शैक्षणिक वातावरण में जुडे मुद्दे यथा पहुँच, नामांकन, ठहराव, गुणात्मक सुधार आदि पर चर्चा की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत आधार भूत सर्वेक्षण डाइट व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के माध्यम से कराया गया । सभी सम्बन्धित प्रयासों यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि प्रारम्भिक शिक्षा सार्वजनिकरण को अभियान के रूप में चलाया जावे, साथ ही इस क्षेत्र में जुडी समस्त योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जावे । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक योजना की प्रकिया को मूर्त रूप दिया जावे इसके लिए योजना को व्यवहारिक रूप दिया जाना आवश्यक समझा गया ताकि गॉव पंचायत के प्रत्येक गॉव, गॉव के प्रत्येक घर तक प्राथमिक शिक्षा को पहुचाया जा सके । सरकारी प्राथमिक विधालयों के वातावरण को आनन्ददायी बनाया जावे । जहॉ बालक पढने में रूचि लेकर पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर आगे बढें व जीवन उपयोगी शिक्षा के द्वारा सफल नागरिक बन सके । बच्च विद्यालय की और हॅसता हुआ आये अभिभावकों की सोच को बदला जाये। विधालयों में शतप्रतिशत नामांकन, बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कर जीवन उपयोगी शिक्षा आदि को आधार बना कर योजना प्रकिया का निर्धारण किया जाये इस हेतु योजना निर्माण का व्यापक स्वरूप रखा गया।

3.2 योजना समितियों का गठन

जिले में विभिन्न योजना समितियों का गठन किया गया जिसमें जिले से लेकर ग्राम तक की सहभागिता सुनिश्चित की गई।

3.2.1 जिला स्तरीय समिति :

जिला स्तर पर योजना निर्माण हेतु शाषी परिषद, निष्पादन समिति का गठन किया गया जो निम्न प्रकार है :

जिला आयोजना समिति

जिला प्रमुख,	अध्यक्ष
जिलाधीश	उपाध्यक्ष
जिले से संबंधित एम.पी.,	सदस्य
जिले से संबंधित विद्यायक	सदस्य
जिले के समस्त प्रधान	सदस्य
जिले के समस्त बी.ई..ई.ओ.	सदस्य
जिले के समस्त सी.डी.पी.ओ.	सदस्य
उप निदेशक (प्रा.शि.)	सदस्य
उप निदेशक (मा.शि.)	सदस्य
प्रधानाचार्य, डाइट–करौली	सदस्य
जि.शि.अधि. (प्रा.शि.)	सदस्य
जि.शि.अधि. (मा.शि.)	सदस्य

उप निदेशक (आईसीडीएस)	सदस्य
सचिव (जेडएसएस)	सदस्य
एक्स.ई.एन., पी.डब्ल्यू.डी.	सदस्य
सी.एम.एच.ओ.	सदस्य
समन्वयक एन.वाईके.	सदस्य
जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
निदेशक, डी..डब्ल्यू. डी.ए.	सदस्य
शिक्षाविद	सदस्य
अनु. शिक्षण संस्थान	सदस्य
प्रभारी सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
शिक्षक संघ प्रतिनिधि	सदस्य
जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

3.2.2 योजना निर्माण कोर दल–

जिला योजना निर्माण हेतु एक कोर दल का गठन किया गया जिसे अधिकृत किया गया कि वह राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर के आदेश निर्देशोनुसार सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना का निर्माण करें। इसके लिये आवश्यक आंकडे विभिन्न श्रोतो से प्राप्त करें। कोर दल का निम्न प्रकार गठन किया गया।

(1) श्री रमेश चन्द्र शर्मा जिला परियोजना समन्वयक डी0पी0ई0पी0 करौली	समन्वयक
(2) श्री शीतल प्रसाद शुक्ला कार्यकम सहायक योजना प्रभारी	सदस्य
(3) श्री वासुदेव शर्मा अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 बरगमा हिण्डौन	सदस्य
(4) श्री जितेन्द्र अध्यापक रा0मा0वि0 क्यारदाखुर्द हिण्डौन	सदस्य

3.2.3 जिला शिक्षा समिति

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं प्रभारी योजना कियान्वयन हेतु जिला शिक्षा समिति बनाई गई है जो निम्न प्रकार है :–

गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
सहायक परियोजना समन्वयक (औ.शि.)	सदस्य प्राचार्य (डाइट) संयोजक
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
वरिष्ठ व्याख्याता डाइट	सदस्य
वरिष्ठ व्याख्याता डाइट	सदस्य
ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य
संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य
शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
प्रभारी सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

3.2.4 ब्लॉक शिक्षा समिति – (बी.ई.सी.)

ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति का गठन किया गया है । इस समिति के निम्न सदस्य हैं :–

प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
सरपंच (पुरुष)	सदस्य
सरपंच (दो महिला)	सदस्य
जिला परि ाद सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
पंचायत समिति सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
शिक्षा विद्	सदस्य
अल्पसंख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
बालविकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
प्रचेता	सदस्य
शिक्षा प्रसार अधिकारी	सदस्य
अतिरिक्त विकास अधिकारी	सदस्य
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

3.2.5 विद्यालय प्रबन्धन समिति

गांव स्तर पर विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का हल एंव विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) का गठन निम्नानुसार किया गया है।

सरपंच/वार्ड पंच	अध्यक्ष
अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
अनुसूचित जन जाति प्रतिनिधि	सदस्य
अल्पसंख्यक /ओ.बी.सी. प्रतिनिधि	सदस्य
महिला एक्टीविस्ट	सदस्य

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
सेवानिवृत्त शिक्षक / कार्मिक	सदस्य
यूथ क्लब प्रतिनिधि	सदस्य
अभिभावक पुरुष	सदस्य
अभिभावक महिला	सदस्य
प्रधानाध्यापक (सम्बन्धित विद्यालय)	सदस्य सचिव

3.3 बैठकों का आयोजन :

सर्वशिक्षा अभियान को मूर्त रूप देने हेतु जिले से लेकर ब्लॉक, संकुल एवं ग्राम स्तर पर शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया। एक विस्तृत योजना के निर्माण हेतु इन बैठकों में उभरे मुद्दे व आवश्यकताओं की चर्चा की गई । इन बैठकों का आयोजन विवरण निम्नानुसार है ।

क्र. सं.	दिनांक	स्थल	सम्भागियों की संख्या		
			महिला	**पुरूष**	**योग**
1.	3.7.02	जिला स्तर–(1)	03	25	28
2.	5.8.02 से 11.08.02 तक	खण्ड स्तर – (5)	20	205	225
3.	15.08.02	ग्राम स्तर – (38)	85	575	660

विभिन्न स्तरों पर बैठकों के आयोजन से उभरी समस्याओं, कठिनाइयों का विवरण विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों से प्रारम्भिक शिक्षा स्तर की अनेकों कठिनाइयों व समस्याओं का सूचीबद्ध किया गया । इनमें प्रमुखतः सभी भौतिक सुविधा, अकादमिक सुविधायें, शैक्षिक सुविधाओं पहुँच, ठहराव, गुणवत्ता, नामांकन तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास आदि से जुडी हुई समस्याओं को इंगत किया गया । जो निम्नानुसार है :

भौतिक :

समस्त विधालयों में चार दीवारी,विधालय तक पहुॅचने के लिए मार्ग भवन, कक्षाकक्ष, पीने के पानी का अभाव, शोचालय, अपूर्ण व असुरक्षित विधालय भवन जीर्ण शीर्ण भवन, तथा अस्वच्छ वातावरण आदि बालकों के बैठने के लिए फर्नीचर, दरीपट्टी, खेलकूद के मैदान व सामग्री का अभाव।

शैक्षिक संसाधान :

अध्यापकों का अभाव, अध्यापकों की निरन्तर उपस्थिति पुस्तकों का अभाव, ब्लैकबोर्ड, चौक का अभाव, शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव ।

(स) शैक्षणिक वातावरण :

शिक्षण नीरस, आनन्ददायी शिक्षा, विभिन्न नवाचारों का प्रयोग नही विधालय में ठहराव, विधालय में शैक्षिक स्तर का न्यूनतम अधिगम स्तर नामांकन की स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं है तक न होना एक प्रश्न चिन्ह है । इस प्रकार अनकों समस्याओं की ओर बैठकों में इशारा किया गया इन सभी का निराकरण करने के लिए योजना का निर्माण किया जाये और यह योजना सर्वशिक्षा अभियान के तहत पूर्ण की जावे ।

3.4.शिक्षा आपके द्धार : राज्य में विधालय जाने योग्य प्रत्येक बच्चा विधालय से जुड सके व समस्त शैक्षिक सुविधाओं का लाभ मिल सके इसलिए राज्य सरकार ने शिक्षा आपके द्धार कार्यकम का सघन आयोजन किया गया । इस कार्यकम में जिले के समस्त 6 से 14 आयुवर्ग के बालकों का सर्वे भी किया गया शिक्षा दर्पण के अनुसार अप्रेल 2002 में जिले में 23589 बालक बालिकाए अनामांकित थे इन बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन उपखण्ड अधिकारी, ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी,विकास अधिकारी, तहसीलदार, बाल विकास अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्धारा किया गया । इसके वातावरण निर्माण हेतु बालमेला,कला जत्था,प्रदर्शनी व रैलियों का आयोजन जिला साक्षरता समिति एवं डी.पी.ई.पी. द्धारा किया गया।

(अ) शिक्षा दर्पण सर्वे 2002

शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत "शिक्षा दर्पण 2000" के आंकड़ों को आदिनांक किया गया और वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु जिला कार्य योजना तैयार की गई।

(ब) प्रशासन गॉव/शहर के संग

राज्य सरकार ने गत वर्ष में समस्त जिले में प्रशासन गॉव के संग व शहर की ओर नाम से एक सघन कार्यक्रम चलाया । इसमें निर्धारित तिथियों में सभी सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एक दिन एक साथ एक जगह अपने कार्यालय रिकार्ड समेत एकत्रित होते । जनता की प्रत्येक विभाग से जुडी समस्या, आवश्यकता का तात्कालिक समाधान कराते । इन बैठकों के मध्य गॉव व वार्ड से जुडी समस्याओं का संकलन किया गया व मौके पर ही निपटारा किया गया । शिक्षा से जुडी समस्याओं का भी संकलन किया गया और एक वृहद योजना की पृष्ठभूमि के लिए ऑकडे संकलित किये जिससे विघालयों के भौतिक, अकादमिक, शिक्षक अभिभावक, शिक्षार्थियों की सुविधाओं व समस्याओं का विस्तृत खाका बन सके व ज्वलन्त समस्याओं का निराकरण हो सके इसी वर्ष में राज्स सरकार के आदेशानुसार ग्राम सभाओं का निराकरण हो सके इसी वर्ष में राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्राम सभाओं का निर्धारित तिथिओं में आयोजन किया गया इन सभाओं में भी शिक्षा से जुडी आवश्यकताओं, सुविधाओं व समस्याओं पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा की गई ।

3.5 सामाजिक सर्वेक्षण अध्यन :

आधार भूत उपलब्धि सर्वे :

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, सार्वजनिक पहुॅच, विद्यालय में अधिगम ठहराव, क्षमता निर्माण तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रकाश में आई है। अतः जिले की शैक्षिक समस्याओं व मुश्किलों को पहचानना अत्यन्त आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब समस्याओं का निर्धारण व पता लगाया जाये तथा उनके समाधान के लिए उपचरात्मक उपाय किये जायें। भिन्न शैक्षिक समस्याओं को जो इस योजना से सम्बन्धित है निम्न समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1– स्कूल पहुॅच व छात्र ठहराव की समस्या

2– गुणवत्ता की समस्या

3– शिष्ट केन्द्रित समूह की समस्या

4– शहरी वंचित बच्चों की समस्या

इन समस्याओं पर विस्तृत विवेचना से इन्हें नजदीकी से समझा जा सकता है ताकि इनके समाधान का उपचार व उपाय किया जा सके।

समस्याऐं एवं मुख्य मुद्दे :

3.5.1 विद्यालय पहुॅच व छात्र ठहराव की समस्या

विद्यालय का आवास से दूर होना व छात्रों का निर्धारित शिक्षा पूरी न करना एक ज्वलन्त समस्या है। इसके निम्नांकित कारण प्रतीत होते हैं।

3.5.2 विद्यालय विहीन बस्तियॉ

बालकों के न्यूनतम नामांकन का कारण बस्तियों के निकट विद्यालय उपलब्ध न होना भी है। करौली जिले में 1374 बस्तियो मे सें में 185 बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध नही हैं

3.5.3 जागृति का अभाव

जो जनता छोटी बस्तियों में निवास करती हैं उनमें अपने बच्चों के शैक्षिक विकास व प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को जानने व समझने के प्रति जागरूकता नहीं

है। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं शिक्षा उनके चरित्र के निर्माण में सहयोग करती है और देश के विकास में मददगार है। करौली जिले के पहाडी व डांग क्षेत्र में साक्षरता दर की कमी वहॉ की जनता की शिक्षा के प्रति जागरूक न होने का स्पष्ट सबूत है। अतः वे अपने 6–11 वर्ष के बच्चों को विद्यालय ही नहीं भेजते हैं। उकने बालक या तो छोटे शिशुओं को सम्भालते हैं या फिर खेती बाडी में अपने अभिभावकों के साथ हाथ बॅटाते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर भी नहीं भेज सकते क्योंकि उन्हें अनौपचारिक शिक्षा सुविधा व व्यवस्था की भी जानकारी नहीं हैं।

3.5.4 बाल मजदूर या श्रमिक बच्चे :

गॉव में बच्चे घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहते हैं शिक्षा उनके जीवन में कोई अहम महत्व नहीं रखती है। आर्थिक विपन्नता के कारण गरीब लोग अपने बच्चों को या तो होटलों में भेजते हैं या छोटे औद्योगिक कारखानों में या फिर खेती के कार्य के लिए मजदूरी कराते हैं किन्तु उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। कोटरी कैलादेवी के बच्चे पत्थर निकालने खदानो पर कार्य करने जाते हैं।

विद्यालय उपलब्ध होते हुए भी बच्चों को विद्यालय सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। लडकियॉ छोटे– भाई बहिन शिशुओं को ही खिलाती हैं या खेती में काम में हाथ बॅटाती हैं या जानवरों को चराने जाती है। गोबर थापती है और वैसे भी सामाजि अवरोध बालिकाओं की शिक्षा के प्रति है।

भीड भरी कक्षाएॅ :

विद्यालयों में कक्षा कक्ष का निर्माण बच्चों की संख्या के अनुपात से नहीं किया जाता है अतः कमरे छोटे व सिकुडे होते हैं जगह कम बच्चे अधिक होने से भीड होती है। इससे शैक्षिक वातावरण नहीं बन पाता है। वे बच्चे मानसिक व भावनात्मक रूप से विद्यालय से सम्बन्धित जुडे अधिक समय तक नहीं रहते हैं।

3.5.5 उचित विद्यालय भवन व वातावरण का अभाव

स्कूलों में विद्यालय भवन टूटी फूटी पुरानी इमारतों में चल रहे हैं। बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था हेतु मात्र सीमेन्ट के खाली बोरे हैं दरी पट्टी भी नहीं हैं। विद्यालयों के चारों ओर गन्दा वातावरण है। कितने ही स्कूल असुरक्षित हैं छत और दीवाल गिर सकती है। आवागमन हेतु सडक नहीं है। वर्षात

में कोई रास्ता नहीं है। स्कूलों में चार दीवारी का अभाव है। खेल के मैदान तो स्वप्न हैं। साधन विहीन, सुविधा रहित विद्यालयों में एक शैक्षिक वातावरण कहॉ से आयेगा।

3.5.6 गरीबी :

आर्थिक विपन्नता एक ऐसा कारण हैं जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। विद्यालय समय अधिक होने के कारण घर के कार्य के लिए बालक–बालिकाओं की आवश्यकता होती हैं।

3.5.7 गृह कार्य में व्यस्तता :

ग्रामीण क्षेत्रों में बालक–बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश तो करा दिया जाता है किन्तु बीच में से उन्हें विद्यालय जाने से रोक लिया जाता है। पूरे जिले में अनुसूचित जन जाति व पिछडी जाति होने के कारण छात्राएँ स्कूल नहीं जाती हैं। उन्हें गृह कार्य में भी मदद करनी होती है। इसके कारण उन्हें प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोडना पडता है। करौली जले की बहुतायत जनता कृषि व पशुपालन पर आधारित है समस्त डांग क्षेत्र में खदानो पर श्रमिक का कार्य करते हैं और जीविका का कोई साधन नहीं है। बच्चे घर पर शिशुओं को सम्भालने व मवेशी चराने का कार्य करते हैं। डांगमें भैंस और बकरिया रखने वाले लोग उनकी लडकियॉ जानवरों को चराने, गोबर थापने, घर झाडने, जानवरों को चारा डालने, खाना बनाने के लिए, ईंधन बटोरने या अन्य छोटे घर से खेत पर खाना देने आदि के कार्य करती हैं।

3.5.9 लिंग विभेद :

अधिकांश समुदायों मे करौली जिले में लिंग भेद है। लडकियों को गृह कार्य के लिए ही माना जाता है। डांग के गांवो की बडी लडकियॉ स्कूल नहीं जा सकती है डांग क्षेत्र में बाल विवाह व पर्दा प्रथा के कारण लडकियॉ स्कूल नहीं जाती हैं। अभिभावकों को यह समझाना आवश्यक है कि यदि लडकी पढी लिखी होगी तो वे आत्म निर्भर होगी और कोई भी कठिनाई आने पर अभिभावकों को दिक्कत की सूचना दे सकेंगी।

3.6 गुणवत्ता सम्बन्धित समस्यायें :

3.6.1 भाषायी समस्या

भाषा सम्प्रेषण का माध्यम है बालक प्रारम्भिक कक्षाओं शुद्ध हिन्दी भी नहीं समझ सकते क्योंकि घर पर परिवार में स्थानीय मातृ भाषा का वातावरण मिलता है और अक्सर अध्यापक भी स्थानीय भाषा में ही बोलते हैं। क्योंकि बालक स्थानीय मातृ भाषा ही समझते हैं।

3.6.2 क्रिया आधारित अध्यापन का अभाव :

बालक क्रिया कर सीखना ज्यादा पसन्द करते हैं। क्योंकि उनका रुझान बचपन में क्रिया करना होता है। लेकिन विद्यालय में क्रिया आधारित कोई शिक्षण नहीं होता है। अतः बालक पढने में रुचि नहीं लेते और विद्यालय छोड देते हैं या कक्षा में मन्द रहते है अतः उनके अधिगम की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

3.6.3 भौतिक अक्षमता :

गरीबी के कारण एवं भौतिक साधनो के अभाव में बालको को विद्यालय नही भेजा जाता हैं वे अमीर लोगो के सामने अपने आप को बौना व कमजोर मानते है। जिससे विद्यालयो से बालक वंचित रहते है।

3.6.4 अरुचिकर पाठ्य पुस्तकें :

प्राथामिक स्तर पर अनेक विषयों की निर्धारित पुस्तकें उत्साहित करने वाली नहीं है। वे कोई रुचि पैदा नहीं करती है अतः इससे अधिगम प्रभावित होता है। पाठ्य पुस्तकें दैनिक जीवन से सम्बन्धित नहीं होती है।

3.6.5 आनन्ददायी अधिगम का अभाव :

प्राथमिक कक्षाओं में खेल क्रिया आधारित विधियॉ नहीं है केवल पुस्तकीय शिक्षा का बोलवाला है। अध्यापक भी नीरसता से निर्धारित पाठ्यक्रम को मात्र औपचारिकता वश पूरी करता है अतः छात्र अधिगम प्रक्रिया में ऊब जाते हैं अतः अध्यापकों के लिए श्रम शील व गहरी एवं थोडी आवृति में प्रशिक्षण चाहिए जिनमें दृस्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, खेल क्रिया तथा भिन्न कक्षा कक्षीय क्रियायें सिखाई जावें। बार बार प्रशिक्षण दिये जायें। बस्ते का बोझ यशपाल समिति ने समझा अतः विचारणीय है।

आनन्दहीन अधिगम के कारण छात्र शीघ्र विद्यालय छोड देते हैं। इसे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पडता है।

3.6.6 कमजोर (हीन) शैक्षणिक वातावरण :

घटिया शैक्षणिक वातावरण घटिया गुणवत्ता का प्रतीक है यही बात विद्यालयों में निम्न कोटि के शैक्षिक वातावरण की है। ज्ञान के स्त्रोत सूख गये हैं। या तो दलगत राजनीति, या निजी स्वार्थ, या चरित्र का पलायन विद्यालयों में कोड के रूप में घुस गया है। ज्ञान के सागर मात्र अध्यापक कर्मचारी ही बन कर रह गये हैं। जब बालक को स्कूल व घर दोनों जगह अध्ययन सहयोगी वातावरण नहीं मिलेगा तो शैक्षिक स्तर में हीनता ही आयेगी। अध्यापक अत्यधिक भीड भरी कक्षा में प्रभावी ढंग से पढा नहीं सकता न अभिभावक के पास समय न जागृति ताकि बालक पढाई की ओर उन्मुख हो सके। शैक्षिक वातावरण के हिरास से बालक न विद्यालय में पढ रहा है न घर पर। घर से भी दूर स्कूल से भी दूर बालक भटक रहा है।

3.6.8 अध्यापकों का अन्यत्र निवास

प्राय अध्यापक विद्यालय से दूर रहते है जिससे आने जाने में अधिक समय खर्च होता है और मानस अध्यापन के प्रति पूर्ण रूपेण नही बन पाता है जिससे गुणवत्ता में कमी आती है।

3.6.9 परिवीक्षण में सम्बलन का अभाव

विद्यालय और अध्यापको की संख्या के देखते हुए परिवीक्षणकर्ता व सम्बलनकर्ता नगण्य है।जिससे उक्त कार्यो का अभाव रहता है । जो भी संख्या में परिवीक्षण कर्ता व सम्बलन कर्ता है उन पर भी अन्य राज्य कार्यो का दबाब रहता है जिससे वो समय नही दे पाते जबकि यह कार्य सतत चलना चाहिये तभी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जा सकती है।

3.7 अ0जा0/अ0ज0जा0 के बच्चों की शिक्षा :– अजा/अजजा के बच्चों का विशेष्ट ध्यान देना प्राथमिक शिक्षा का विशेष ध्यान देना केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर दलितों व जन जातियों का अपना अभियान समझना आवश्यक है। अतः इसमें आवश्यक है कि :–

1— स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिष्ठ शिक्षण की सहायता।

2— एससी/एसटी के समुदाय के द्वारा स्कूल कमेटी को अपना समझना।

3— स्कूल शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

4— वैकल्पिक विद्यालय जाना।

5— शिशु शिक्षा व शिशु देखभाल के कार्यक्रम

6— जागरूकता अभियान

7— निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

शिशु शिक्षा एवं शिशु देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है ।

शहरी वंचित बालक

शहरी वंचित बच्चों के पास प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीनीकरण नहीं पहुँच पाता है। शहरी बालकों की शिष्ठ समस्यायें होती हैं क्योंकि उनके अभिभावक अपने व्यवसायों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं अतः इससे बच्चों की पढाई पर असर पढता है। दूसरी ओर ये बालक चीथडे एकत्रित करना, उद्योग कारखानों में कार्य करना, गृहकार्य में लगे रहना, होटलों में काम करना आदि के कारण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा पाते हैं। अतः सभी सरकारी विभाग, स्थानीय संकाय, गैर सरकारी निजी संगठन नगर पलिकायें आदि का समन्वयन व एक दूसरे में विलीयन व तालमेल आवश्यक है। अतः इन वंचित वर्ग के बच्चों के लिए योजना में उपयुक्त समय का ध्यान रखना आवश्यक है। जागरूकता पैदा करना, पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण तथा अन्य अधिगम अध्यापन सामग्री का होना आवश्यक है।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

4.1 भूमिका

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षाका प्रावधान स्वतंत्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्य योजना 1992 में, इस संकल्प की मुखर अभिव्यक्ति हुईहै। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में दिए गए महत्व के अनुसरण में कई योजनाएं तथा कार्यकम आरंभ किये गये। इन योजनाओं में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, महिला समाखया, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं जैसे आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा संबंधी परियोजनाएं, राजस्थान में शिक्षा परियेाजना, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यकम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम शामिल हैं।

सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय तथा समानता अपने आप में ही एक ठोस तर्क है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा मानवकल्याण, विशेषकर जीवन–प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर, बच्चों का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकासमें भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है।

प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में सर्वसुलभ बनाए जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट :– प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं की तैयारी पर बल देकर, समग्र एवं संकेन्द्रत दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रूप में प्रांरभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिये। इसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन किया और प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को मिशन के रूप में प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त की।

प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। लेकिन दुख की बात है कि 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे

हैं। इनमें 3.5 करोड़ लड़कियॉ तथा 2.4 करोड़ लड़के हैं। ये समस्याएं पढ़ाई बीच में छोड़ने की अधिक दर, अधिगम उपलब्धि का निम्न स्तर और लड़कियों, जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों की कम सहभागिता से संबंधित है। अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तियां/टोले हैं जहॉ एक किलोमीटर की दूर के भीतर स्कूली सुविधाएं नहीं हैं। इसके साथ ही स्कूलों को अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्कलों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली, शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता, शिक्षक रिक्तियों की अधिक संख्या, शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियों जैसे विभिन्न संबद्ध कारण भी हैं। संक्षेप में, देश को अभी भी प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यू.ई.ई.) के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्यहै सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाएं प्रदान करके शत–प्रतिशत नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखना। इसी अन्तरको पूरा करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम आरंभ किया है।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- ❖ सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता,
- ❖ सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें,
- ❖ सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी कर लें,
- ❖ संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना,
- ❖ स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना,
- ❖ वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

4.3 सर्व–शिक्षा अभियान में करौली जिले के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य 2010 तक सभी 6–14 आयु वर्ग के बालकों को उपयोगी व सम्बन्धित प्रारम्भिक शिक्षा देना है। स्कूल के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ समाज में लिंग भेद, क्षेत्रीयता तथा सामाजिक भेद की दूरी को पाटना भी एक मात्र लक्ष्य है। उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा का अर्थ उस खोज से है जो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो समाज को जोडे व समाज में भाईचारा पैदा करे।

इसका लक्ष्य बच्चों को उनके नैसर्गिक वातावरण मे समझने, सीखने व अधिकार जानने से ही है। जो उनकी समस्त शक्तियों (आध्यात्मिक व भौतिक शक्तियों) को काम में ला सके। इसकी खोज मूल्य आधारित अधिगम (Value Based Learning) भी है। जो बच्चों को एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने के अवसर देता है। जिनसे वे निजी स्वार्थ से ऊपर उठते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान शिशु शिक्षा व देखभाल के महत्व को भी अनुभव कराती है और 0–14 वर्ष तक इसकी निरन्तर प्रक्रिया समझाती है। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केन्द्रों (ICDS) की मदद करना, और जहॉ ICDS के पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं नये केन्द्र खोलने का उद्देश्य है ताकि महिला व बाल विकास विभाग (Department - Women and Child Development) का सहयोग व समर्थन किया जा सके।

सभी विद्यालयों में चार केन्द्रित लक्ष्यों (Focused Aim) की शत प्रतिशत उपलब्धि के लिये योजना को तथ्यात्मक व वस्तुस्थिति पर आधारित करना मूल लक्ष्य है ! ये चारों क्षेत्र शिक्षार्थियों की विद्यालय तक पहुॅच ,उनका विद्यालय मे नामांकन, सम्पूर्ण शिक्षा पूरी करने के लिये ठहराव तथा उनके उपलब्धि स्तर की गुणात्मकता प्राप्त करने आदि के उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं ।

(अ) पहुंच **(Acess) :** प्रत्येक विधालय की दूरी इतनी हो कि हर बस्ती का बालक वहॉ पहुंच सके ! अब तक विद्यालयों की स्थिति यह है कि सम्पूर्ण जिले में 1204 स्कूल सहित वासस्थान हैं तथा केवल 170 स्कूल रहित वासस्थान हैं ! जिनमें से 105 स्थान वासस्थान वैकल्पिक विद्यालय के योग्य तथा 65 वासस्थान प्राथमिक विद्यालय के योग्य है। इनसे यह निकलकर आया है कि 2:1 के अनुपात में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिये 215 स्कूल कमोन्नत करने है ! इसमें प्रत्येक बस्ती की एक किलोमीटर की परिधि में प्राइमरी स्कूल एंव तीन किलोंमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय होना सुनिश्चित किया है ! अतः सहज पहुॅच के लिये प्राथमिक स्कूल की संख्या 1036 व उच्च प्राथमिक की संख्या 489 होने पर वर्तमान अवश्यकता की पूर्ति होगी !

(ब) नामांकन **(Enrollment)**: सर्व शिक्षा अभियान में यह लक्ष्य रखा गया है कि 2003 तक शत प्रतिशत नामांकन हो जाना चाहिये । शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य अर्जित किया जाना प्रस्तावित है । नामांकन का पूर्वानुमान इस प्रकार है

पूर्वानुमानः –नामांकन

विवरण	वास्तविक स्थिति2001	प्रस्तावित							
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
6–14आयु वर्गकी जनसख्या	245610	251750	258044	264495	271107	277885	284832	291953	299251
सर्व नामाकन 6–14	222021	239162	258044	264495	271107	277885	284832	291953	299251
निजी विद्यालये मे नामाकन	62311	66965	69672	71413	73199	75029	76904	75907	77805
वैकल्पिक विद्यालयो मे नामांकन	2200	2800	3000	31000	31000	31000	31000	31000	31000
राजकीय विद्यालयो मे नामाकन	157510	169397	185372	189982	194808	199756	204828	212946	218346
1:40 में अध्यापको की	3904	4235	4634	4749	4870	4994	5121	5324	5459

	आवश्यकता									
2	कार्यरत अध्यापको की सख्या	3822	3904	4235	4634	4749	4870	4994	5121	5324
3	अतिरिक्त अध्यापको की आवश्यकता		253	75	125	125	130	130	140	140
9	राजकीय विद्यालयों में नामाकन वृद्धि		11887	15975	3610	4826	4948	5052	8138	6400
10	कक्षा कक्षो की आवश्यकता	–	20	293	160	160	160	160	100	100

(स) ठहराव **(Retantion)** : वर्तमान में जो शिक्षार्थी नामांकित है तथा 2003 तक शत प्रतिशत नामांकित होगें उनके शत प्रतिशत ठहराव के लिये योजना के लक्ष्य निर्धारित किये गए है । प्राथमिक स्कूलों में 2007 तक शत प्रतिशत ठहराव एंव उच्च प्राथमिक विधालयों में 2010 तक शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है

(द) गुणात्मक सुधार (Quality Improvement)

राज्य सरकार के आदेशानुसार SIERT व DIET के माध्यम से आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया था उसे उपलब्धि का आधार माना जावेगा और अब DPEP उपलब्ध आकडों के आधार पर 25 प्रतिशत वृद्धि करना एक निर्धारित उद्देश्य है ! यदि यह उपलब्धि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं होती है तो इसकी पूर्ति सर्वशिक्षा अभियान में की जावेगी !

अध्याय – 5

पहुँच एवं ठहराव

5.1 भूमिका

प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 1986 में 14 आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य व गुणवत्ता शिक्षा दी जावे। लेकिन करौली जिला डांग क्षेत्र होने के कारण प्रत्येक गॉव में विद्यालय सुविधा, तथा विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट व्यूह रचना की आवश्यकता है। जो कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा चलाये गये हैं उनका संबलन कर सर्व शिक्षा अभियान में अधिक तथ्यात्मक कार्यनीति अपनाई जायेगी। सर्वप्रथम प्रत्येक 6 –14 आयु वर्ग के बच्चे को विद्यालय सुविधा सुलभ हो यह सुनिश्चित करना सर्व शिक्षा, अभियान का उद्देश्य है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों का खोलना व उन्हें क्रमोन्नत करना निहित है। इनके अलावा शिक्षा गारन्टी योजना व वैकल्पिक विद्यालय के कारण समस्त शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना, जो जुड गये हैं वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें यह भी सुनिश्चित करना एक ध्येय है। शिक्षा को व्यवसाय से जोडना व समुदाय की भागीदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

5.2 पहुँच

सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय शिक्षार्थी के निवास से 1 किमी के दायरे में हो तभी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण इस मॉग की पूर्ति के लिए SSA में अभियान चलाया जायेगा। शिक्षा सुविधा की सुलभता शिक्षा के सार्वजनीकरण बड़ी प्रथम आवश्यकता है। प्रत्येक गॉव में विद्यालय सुविधा उपलब्ध हो यहॉ एक मौलिक उद्देश्य है।

$$\text{GAR} - \frac{\text{कुल गॉवों की संख्या जिन में प्राथमिक विद्यालय हैं}}{\text{जिले के कुल गॉवों की संख्या}} \times 100$$

$$\frac{1189}{1374} \times 100 = 86.53$$

इस प्रकार 1374गॉवों में से 1189 में प्राथमिक विद्यालय हैं और 185.गॉवों में विद्यालयों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के तहत करनी है।

5.2.1 उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति

करौली जिले में 2002–2003 में कुल 581 प्रा0वि0 277 उच्च प्राथमिक विद्यालय 545 रा0गॉ0स्वर्ण जयंती पाठशाला , शिक्षाकर्मी 96 तथा बैकल्पिक विद्यालय 38 कुल 1537 प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय हैं जिनमें से सन् 2003–04 में 218 रा.गा.पा. को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा तथा 3 प्रा. विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा । 26 वैकल्पिक विद्यालय खोले जाने जावेगें ।

प्राथमिक विद्यालय में परिवर्ततन करने पर 10,000 प्रति विद्यालय टी.एल.ई. के दिये जावेंगें । एक नियमित अध्यापक व 4 पैराटीचर दिया जावेगा , 2000 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास फण्ड 500 प्रति अध्यापक टी.एल.एम. दी जावेगी ।

परिवर्तन का सूत्र निम्नानुसार रहेगा

सत्र 2003–2004 मे :– सम्पूर्ण रा, गा, प्रा, के 40 प्रतिशत को प्रा, वि, में।

सत्र 2004–2005 में :– रा,गा, पा, के 20 प्रतिशत तथा समस्त शिक्षा कर्मी विद्यालयों को प्रा, वि, में परिवर्तित किया जायेगा।

सत्र 2005–2006 में :– रा, गा, पा, के 20 प्रतिशत विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना हैं।

सत्र 2006–2007 में :– रा, गा, पा, की 20 प्रतिशत विद्यालयों को प्रा, वि, में परिवर्तित किया जाना है।

शिक्षा कर्मी विद्यालयों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत 2004–2005 में किया जाना प्रस्तावित है। शिक्षा कर्मी विद्यालय की प्रहर पाठशालाओं को ई0जी0एस0 में बदला जाना प्रस्तावित है।

राजीव गांधी पाठशाला जिनमें कक्षा एक से पॉच तक सौ छात्र अध्ययनरत हों उनकों ही प्राथमिक विद्यालय में बदला जाएगा।

वैकल्पिक विद्यालय 2006–2007 में प्राथमिक विद्यालयों में बदले जाएंगे उन विद्यालयों में भी कम से कम सौ छात्र अययनरत हों, जहां सौ से कम छात्र अध्ययनरत हैं वो वैकल्पिक विद्यालय ई0जी0एस0 के अन्तर्गत संचालित किये जाऐंगें।

परियोजना अवधि में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत 218 विद्यालयों को शिक्षण अधिनाम सामग्री की व्यवस्था हेतु 50000 रूपये प्रति विद्यालय बजट प्रावधान रखा गया है। इन विद्यालयों को भी विद्यालय सुविधा अनुदान रूपये 2000/– प्रति वर्ष उपलब्ध करवाए जाने है तथा इनमें नियुक्त शिक्षको को 500 रूपये प्रति शिक्षक प्रति वर्श शिक्षण अधिग्रम सामग्री के रूप में उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान रखा गया है। कमोन्नत विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक व 6 अध्यापक उपलब्ध करवाए जायेगे।

उपरोक्त सारणी के अनुसार 551 ईजीएस शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रावधान है। परिवर्तन के पश्चात् इन विद्यालयों को शिक्षण अधिग्रम सामग्री हेतु 10000 रूपये प्रति विद्यालय उपलब्ध करवाए जाने का बजट प्रावधान रखा गया है।इन विद्यालयों के अध्यापको को 500 रूपये प्रति वर्ष प्रति अध्यापक के रूप में शिक्षण अधिग्रम सामग्री हेतु उपलब्ध कराए जावेगें। साथ ही इन विघालयो को पूर्ण स्तर करने के पश्चात् प्रति वर्ष 2000 रूपये विद्यालय सुविधा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेगें। इन परिवर्तित विद्यालयों में एक अध्यापक एवं चार पैराटीचर प्रति विद्यालय उपलब्ध करवाए जावेगे।

नये पैराटीचर को 41,30 व 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

अध्यापकों की आवश्यकता :–

वर्तमान में छात्र शिक्षक अनुपात 41.80 है 40 से अधिक अनुपात होने के कारण 166 अध्यापकों की आवश्यकता होगी ।

ठहराव दर :

जिले में बालक बालिकाओं की ठहराव दर 58.62 प्रतिशत है ।

ब्रिज कोर्स :– 9 से 14 वर्ष बच्चियों के लिए 3–3 माह का पैकेज प्रारम्भ किया जावेगा ।

वोकेशनल :– 6 से 8 के लिए जिले के प्रत्येक ब्लॉक के हिसाब से 1 लाख रूपे प्रतिवर्ष उपयोग किये जावेगें ।

जो वैकल्पिक विद्यालय के रूप में दो साल पूरे कर चुके हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करना है।जो 6–14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा गारन्टी योजना व वैकल्पिक विद्यालय से जोडना होगा। इसके साथ जो अक्षम बच्चे उनको 18 वर्ष तक की उम्र तक भी जोडा जायेगा।

इस योजना में तीन प्रकार की व्यवस्था होगी।

1– राज्य सरकार द्वारा संचालित EGS/AS/या विद्यालय वापसी शिविर

2– EGS/अधिगम केन्द्र या वैकल्पिक विद्यालय जो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जायेगें।

3– नवाचारी व प्रायोगिक प्रयोजना

EGS व AS का मूल आधार है प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए समग्र ढंग से योजना चलाना। सर्व शिक्षा अभियान में जिले में सभी 6–8 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यतः विद्यालय से जोडा जायेगा। 6–11 वर्ष के बच्चों के लिए औपचारिक विद्यालय अथवा ब्रिज कोर्स व आवासीय शिविरों के द्वारा उन्हें जोडना शामिल है अतः जहॉ तक हो सके उनका ठहराव व नामांकन पूर्ण हो। अक्सर यह देखने में आता है कि गली के बच्चे, घुमन्तु बच्चों, बंधुआ मजदूरों के बच्चे जो एक बार विद्यालय में नामांकित हुए विद्यालय छोड चुके हैं और अब औपचारिक विद्यालयों में तो आ नहीं सकते अतः उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही करनी होगी।

क्योंकि सर्वशिक्षा UEE अभियान में के अभिन्न भाग की तरह EGS को क्रियान्वित करना होगा। जिले में जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत करना होगा। प्रति वर्ष 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

कम्पयूटर शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा

कमजोर बालकों के लिए अतिरिक्त कक्षायें

आदर्श विद्यालय की स्थापना

मदरसा सुदृढिकरण

15 लाख से अधिक एक कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा ।

5.1 शिक्षा गारन्टी स्कीम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक रूप से प्रारम्भिक शिक्षा दी जावे अतः सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वजनीकरण में निर्धारित समय बद्ध कार्यक्रम को पूरा किया जाय।

- सभी बच्चे 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी स्कूल EGS, वैकल्पिक शिक्षा या Back to School में प्रवेश दिलाया जाये।
- सभी बच्चे 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।
- सभी बच्चे 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।

EGS में 6–14 आयु वर्ग के बालकों को व अक्षमतायुक्त बालकों को 18 वर्ष तक शिक्षा देने का प्रावधान है। EGS का आधार सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सार्वजनीकरण की व्यवस्था करना है। जिले में 6–8 वर्ष के प्रत्येक बालक का नामांकन होना चाहिए। EGS को SSA में एक अभिन्न अंग के रूप में चलाया जायेगा जो प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना DPEP योजना के तहत विद्यालय सुधार बच्चों को प्रोत्साहन, अध्यापकों की पूर्ति, प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक सुधार,किया जायेगा। सांयकालीन विद्यालयों का उद्देश्यं कार्य करने वाले, घुमन्तू, गलियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ये केन्द्र वहॉ खोले जायेंगे जहॉ 1 किमी तक कोई विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। समाज की मॉग पर राज्य सरकार EGS खोलेगी।

व्यूह रचना :–

1– विद्यालयहीन बस्तियों में EGS स्कूल खोलना।

2– ब्रिज कोर्स को Back to School वापिस विद्यालय से जोडना

3– स्कूल से न जुडने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रयास।

समुदाय की भागीदारी :– समुदाय की भागीदारी EGS/AS में होगी। समुदाय की भागीदारी विद्यायल समिति PTA, MTA, VERS तथा पंचायत द्वारा जी जायेगी। EGS का संचालन समुदाय द्वारा बच्चों के अभिभावकों द्वारा होगा।1

कार्यावयन के चरण :–

1– सूक्ष्म योजना/घर घर सर्वेक्षण

2– योजना बनाना तथा EGS काा स्थान सूक्ष्म योजना के आधार पर

3– आध्यात्मिक चयन

4– अधिगम केन्द्र के लिए पानी, लाइट व स्थान देना।

5– केन्द्र का समय निर्धारण

6– प्रतिदिन की देखभाल निगरानी

7– अभिभावकों का प्रेरण

8– अध्यापक को पारश्रमिक देना

9– शिक्षण सहायक सामग्री खरीदना

स्वंय सेवी का चयन :– स्वंय सेवक स्थानीय समुदाय से चयन होगा। स्वंय सेवक 18 वर्ष का व 10वीं पास हो। महिला कम शिक्षित भी चयन हों सकती है।

शिक्षार्थी :– ये सभी 6–14 आयु वर्ग के बालक जो विद्यालय कभी गये ही न हों इन विद्यालयों में औपचारिक पाठ्यक्रम ही लागू होगा।

प्रशिक्षण :– इन अध्यापकों का 30 दिन PS तथा 40 दिन UPS को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। विद्यालय 4 घण्टे तक चलेंगे उनका समय निर्धारण आवश्यकता करना होगा।

लागत – केन्द्र प्रति शिक्षायी PS रु0 845/– व UPS पर 1200/– देय होगा।

शिक्षा गारन्टी स्कूल खोलने के लिए ऐसे बंचित व छोटे आवासीय गॉव या ढाणी आदि में घर पर सर्वे के उपरानत 6–14 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाले कम से कम 25 बच्चे मॉजूद हों एवं उनके निवास स्थान 1 किमी परिधि में कोई विद्यालय नहीं है। जिले में इस योजना के तहत 406 राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला चल रही है। आगे के प्रति वर्ष 80 पाठशालाओ को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा ।

5.2 वैकल्पिक शिक्षा

संकल्पना :– वैकल्पिक विद्यालयी व्यवस्था 6–14 आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए है जिनकी किन्हीं कारणों से औपचारिक विद्यालयों में पहुँच नहीं है। वैकल्पिक विद्यालय व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है :–

1– दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों अर्थात् छोटे–छोटे आवास स्थलों (जहॉ की आबादी 100 व 15 बच्चे उपलब्ध हों) तक विद्यालयी पहुँच प्रदान करना।

2– अनामांकित तथा विद्यालय छोडने वाले बच्चों विशेष कर लडकियों के लिए शैक्षिक सुविधायें प्रदान करना।

3– कामगार बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।

4– अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों विशेषकर लडकियों के लिए मदरसों में सामान्य शिक्षा प्रदान करना।

5– प्रभावी संचालन के लिए वैकल्पिक विद्यालयों के प्रभावी संचालन के लिए शाला प्रबन्धन समितियों का गठन करना।

6– वैकल्पिक विद्यालयों को भी औपचारिक विद्यालयों में दी जाने वाली समस्त सुविधायें उपलब्ध कराना।

प्रस्तावित व्यूह रचनाओं की विशेषतायें :–

(अ) वैकल्पिक विद्यालय (6 घण्टे) खोलने के मानदण्ड

1– जिन गॉवों/आवास स्थलों में 100 प्लस आबादी हो।

2– जहॉ एक किमी दायरे में विद्यालय सुविधा उपलब्ध न हो।

3– जहॉ 15–20 स्कूल जाने वाले छात्र/छात्रायें उपलब्ध हो।

(ब) वैकल्पिक विद्यालय (4 घण्टे)

1– जहॉ कामगार, अनामांकित तथा विद्यालय छोड चुके बच्चे विशेषकर छात्रायें उपलब्ध हों।

2– जहॉ 10–15 विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे उपलब्ध हों।

(स) मदरसा :–

1– वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय के रूप में मदरसों को एडोप्ट किया जाएगा। चयनित मदरसों में सामान्य शिक्षा यथा – हिन्दी, गणित, विज्ञान के शिक्षण हेतु एक शिक्षा सहयोगी दिया जायेगा।

2– मदरसा की व्यवस्था एवं संचालन हेतु मदरसा मैनेजमेंट समिति का गठन किया गया है।

(द) घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय सुविधा

1– जो परिवार व्यवसाय के लिए 3 से 6 माह तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हों उनके बच्चों की पढाई के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

2– घुमन्तु परिवार के बच्चों के लिए लघु अवधि ब्रिज कोर्स लगाकर गेप को पूरा कर पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलवाना।

(य) ब्रिज कोर्स

1– अनामांकित तथा ड्राप आउट बालिकाओं के लिए 3–3 माह के लघु अवधि पैकेज के रूप में शिक्षण व्यवस्था की गई है।

2– बालिकाओं की आयु शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर अलग–अलग अवधि के आवासीय कोर्स संचालित किये जाने का प्रावधान है।

3– प्रत्येक ब्रिज कोर्स के लिए 3 पैरा टीचर लगाए जायेंगे।

4– जिले में 12 आवासीय ब्रिज कोर्स खोले जावेगें जो एक वर्ष तक चलाये जायेंगें । तथा 8 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स 1 वर्ष तक चलाये जायेंगें ।

अध्यापकों की आवश्यकता

वर्तमान में जितने अध्यापक कार्यरत हैं उनकी संख्या जिले की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। रिक्त स्थान पडे हैं। अतः विद्यालय में ज्यों ज्यों नामांकन बढ रहा है। अध्यापकों की आवश्यकता बढेगी। भविष्य की मॉग को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापकों की आवश्यकता व पूर्ती को सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक 40 बच्चों पर 1:40 एक अध्यापक होता है तथा एक प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापक का प्रावधान हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 अध्यापकों

की जरूरत है जैसे ही छात्र संख्या 24 को पार करेगी अध्यापकों की संख्या में 1:40 के अनुसार एक अध्यापक अतिरिक्त लगाया जायेगा।

2003–04	में 381
2004–05	में 268
2005–06	में 167
2006–07	में 226
2007–08	में 179
2008–09	में 182

भौतिक सुविधायें :–

विद्यालयों के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 5 कमरें तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8 कमरों की आवश्यकता होगी ।

	अति.कक्षा कक्ष	तीन कमरे	पांच कमरे	एच.एम. कक्ष
2003–04	में 200	1	0	
2004–05	में 300	37	23	150
2005–06	में 300	33	21	100
2006–07	में 316	27	20	50

निर्माण कार्य उपरोक्त प्रकार किया जावेगा लघु मरम्मत 425 कमरों तथा दीर्घ मरम्मत 395 कमरों की जानी प्रस्तावित है ।

प्रत्येक विद्यालय को 5000/– रूपयें विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जायेंगें । प्रा.वि., उच्च प्रा.वि., संस्कृत विद्यालय एवं वे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 6 से 8 तक चलती है उन्हें भी यह राशि दी जावेगी । इसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय को 2000/– स्कूल फेसीलिटी ग्रांट भी दी जावेगी ।

शिक्षक प्रशिक्षण :– सभी उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 20 दिवस का प्रशिक्षण दिया जावेगा । जिसमें 9 दिवसीय विषय वस्तु पर आधारित तीन दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री तथा 1–1 दिवस की बैठक प्रत्येक माह 8 माह करके प्रशिक्षण पूरा किया जावेगा । यह ब्लॉक स्तर पर होंगें ।

दक्ष प्रशिक्षण डाईट द्वारा तैयार किये जावेंगें ।

अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण :– 60 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डाईट आयोजित करेगी । 30 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जावेगी ।

शिक्षा गारन्टी योजना :–

1 इस स्कीम के तहत नियमित अध्यापक रखने है ।

2 पैराटीचर भी लगाये जायेंगें ।

विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा का प्रावधान रखा गया है ।

एस.सी/एस.टी. के कक्षा 6 से 8 तक बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई

द्व

जायेंगी ।

कामकाजी बालकों को ई.जी.एस. से जोड़ा जायेगा ।

5.7 जिले में छात्रों के ठहराव की स्थिति

5.3 समुदाय की गतिशीलता

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए जन सहभागिता ही एक निश्चित आधार है। जब तक जनता का सीधा जुडाव न होगा शिक्षा का प्रत्येक कार्यक्रम अधूरा ही रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि आम जनता इसकी गतिविधियों को जाने, क्रिया विधि से परिचित हो तथा इसके कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले। जन समुदाय में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रुचित जाग्रति पैदा करना और शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं को औपचारिक अथवा वैकल्पिक विद्यालय से जोडना अध्यापक और समुदाय का साझा दायित्व है। विद्यालयों में शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ उदराव मुक्त नामांकन को बढाना सामुदायिक गतिशीलता से सम्भव हो पायेगा। विद्यालय से सम्बन्धित कार्यों में विद्यालय समितियों का प्रावधान में पूर्ण सहयोग का होना आवश्यक है। और कार्यक्रम में पारदर्शिता से समुदाय जुड सकता है।

प्रत्येक एस.एम.सी. के 8 सदस्यों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा । जिससे उन्हें सर्व शिक्षा अभियान की अवधराणा समस्त गतिविधियों की जानकारी व उनके सहयोग की जानकारी दी जावेगी ।

सामुदायिक प्रतिनिधियों का अभिमुखीरकण एवं मीटिंग का आयोजन किया जावेगा ।

मुख्य विशेषताये :-

1- यह कार्यक्रम काफी लचीलापन लिए हुए है लक्ष्य प्राप्ति हेतु इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन सम्भव है।

2- जन प्रतिनिधियों का सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व है।

3- विभिन्न समितियों के माध्यम से गतिविधियों का सम्पादन करवाया जाता है।

व्यूह रचना :- सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु DPEP की तरह व्यूह रचना बनाई गई है।

1- जिला संदर्भ समूह का गठन किया गया है।

2- ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर व ग्रामीण स्तर पर समितियॉ बनाई गई हैं।

3- समितियों के अभिनवन प्रशिक्षण कराये जायेंगे।

गतिविधियॉ :- समुदाय की गतिशीलता के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इनका संचालन समितियों द्वारा ही किया जायेगा जैसे :-

1- बाल मेला - उद्देश्य

कार्य विधि - प्रति विद्यालय 1 दिवस

2- कला जत्था :- उद्देश्य विभिन्न नुक्कड नाटक व भजन संगीत के कलाकारों के द्वारा शिक्षा के प्रति समाज में जागरुकता लाने के लिए कार्य करना।

कार्यविधि :- प्रति विद्यालयों - 1 दिवस

3- रैली निकालना - उद्देश्य - विद्यालय के शिक्षार्थियों व जन प्रतिनिधियों द्वारा गॉव व मौहल्लों में जाग्रति के लिए जुलूस व रैली निकालना।

कार्य विधि - प्रत्येक गांव में रैली निकालना।

4- महिला बैठकों का आयोजन - उद्देश्य - महिलाओं के सक्रिय सहयोग व भागीदारी के लिए बढावा देना।

कार्य विधि - महिला मीटिंग प्रति विद्यालय एक वर्ष में एक बार

5- जन प्रतिनिधि बैठक - उद्देश्य - सभी जन प्रतिनिधि सामूहिक रूप से समुदाय व विद्यालय कार्यों में भाग

6– पोस्टर्स व ब्रोशर्स के माध्यम से प्रचार प्रसार – उद्देश्य – हर व्यक्ति को सम्पूर्ण जानकारी हो सके ताकि

कार्यविधि – नारे कविताओं द्वारा पोस्टरों पर चित्रों द्वारा समाज में प्रचार प्रसार किया जायेगा।

7– मीडिया ग्रुप गठन – उद्देश्य – अखबार पत्रिका आदि के कवरेज के लिए पत्रकारों व इस धन्धे से जुडे लोगों का समूह अधिक से अधिक शिक्षा के समाचार देने के लिए जोडना।

कार्य विधि –

8– विज्ञान मेला – ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय

9– स्वास्थ्य मेला – प्रति विद्यालय स्वास्थ्य कार्ड, वजन, सीना, लम्बाई ऑख, नाक, कान आदि।

5.4 व्यावसायिक शिक्षा :– सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना है। सीखने के कौशल को जीवन कौशल बनाना भारत का प्राचीन प्रयास है अतः महात्मा गॉधी की Basic Education System व डा0 जाकिर हुसैन की नई तालीम जैसी जीवन क लिए उपयोग शिक्षा प्रदान करना मूल उद्देश्य है। अतः विद्यालयों की ऐसी शिक्षा दीपनाम जो जीविकोपार्जन से जुडी हो मात्र साक्षरता व गणित (Literacy &) ही न दें। यह सोचा गया है कि विद्यालय में विशेष सम्बन्ध विशिष्ट व्यवसाय व कलाओं में दक्ष श्रमिकों, दस्तकारों व कारीगरों से कराया नाम जैसे कृषि विस्तार कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, कला आधारित कार्य करने वाले श्रमिक, खादी व ग्रामोद्योग निगम, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से लाभान्वित होने के लिए विद्यालय को समाज से व जीवन की आवश्यकताओं से जोडा जाये। व्यावसायिक शिक्षा में कढाई, सिलाई, बुनाई, कागज कार्य, बढई, लुहार, पुस्तक वाइंडिंग, टाइप जीवन से जुडी हुई अनेक दस्तकारियों व दक्षताओं से परिचय कराया जाये।

5.5 विद्यालय की भौतिक सुविधायें :– विद्यालयों में कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा कक्ष बनाना तथा भवन के अतिरिक्त शौचालय, पानी की सुविधा, चार दीवारी आदि की व्यवस्था करने का प्रावधान है। यह सुविधा प्रत्येक विद्यालय में नहीं है। लडकियों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था होगी।

5.6 विद्यालय रख रखाव **(Maintenance)** :– विद्यालय पुराने भवनों में चल रहे हैं उनकी मरम्मत करने के लिए प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक विद्यालय को 5000/– रु0 प्रति वर्ष, भवन मरम्मत, पुताई सफाई, फर्नीचर की मरम्मत सभी सम्मलित होंगे।

5.7 पूर्व प्राथमिक शिक्षा **(Early Child Education)** :–

3–6 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की पूर्व तैयार के लिए आंगनबाडी केन्द्र खोले गये है। उनको सुदृढ करना व और नये केन्द्र खोलने का प्रावधान रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जहॉ आंगनबाडी केन्द्र नहीं चल रहे हैं वहॉ केन्द्र खोलना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे आंगनबाडी पर सभी विकास के आयामों की गतिविधियों में भाग लेकर विद्यालय में प्रवेश लेते हैं उनका ठहराव व बौद्धिक विकास, भाषा विकास अधिक रहता हो। वनस्पति उन बच्चों के जो सीधे ही प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में पूर्व में ICDS द्वारा संचालित केन्द्रों का संबलन किया जायेगा।

नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोलने का प्रावधान :–

<u>गतिविधिया :–</u>

1– जिले की आवश्यकतानुसार नये आंगनवाडी केन्द्र खोले जायेंगे।

2– प्राथमिक विद्यालय में ECE कक्ष के लिए स्थान पर्याप्त होने पर आंगनबाडी भवन का निर्माण कराया जायेगा।

3– जहॉ अनु0 जाति/जन जाति/अल्प संख्यकों का बाहुल्य होगा व जहॉ 15–20 बच्चे 3–6 आयु वर्ग के होंगे।

आंगनबाडी कार्यक्रमों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण एवं सहायिका को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता को 150/– एवं सहायिका को 50/–. प्रति माह अतिरिक्त मानदेय देय होगा। आंगनबाडी केन्द्रों का समय विद्यालय समय के अनुकूल रखा जायेगा ताकि बडी उम्र की लडकी जो विद्यालय आती हैं उसके साथ छोटे भाई–बहिन भी ऑगन बाडी पर आ सकें।

अध्याय – 6

गुणवत्ता I

6.1 भूमिका : – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव के बाद बालक बालिकाओं को गुणवता शिक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है । गुणवता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये इस अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को विषय शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

नामांकन, नियमित उपस्थिति और आनन्ददायी शिक्षण के साथ–साथ शिक्षा के स्तर में वांछनीय सुधार के लिए शिक्षण में गुणात्मक उन्नयन जरुरी है। शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि शिक्षक अपने विषय में पूर्ण पारंगत है और पूरी तैयारी के साथ कक्षा में छात्रों के साथ मेहनत करता है तो उसका शिक्षण कार्य पूर्ण प्रभावी सिद्ध होगा। इसलिए आवश्यक है कि वह स्वयं नियमित रहे और छात्र केन्द्रित शिक्षण पद्धति से शिक्षण कार्य करें, इससे भी अधिक उपयुक्त रहेगा कि छात्रों की कक्षा शिक्षण में अधिकाधिक भागीदारी हो, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति व श्यामपट्ट पर लिखने का अवसर प्रदान किया जावे। सहभागी व प्रश्नोत्तर पद्धति से शिक्षण कार्य किये जाने पर विद्यार्थियों का जुड़ाव बढ़ता है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों व माध्यम से अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जावें । साथ ही दैनिक जीवन से सम्बन्धित विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करें और कक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ पढ़ावें। शिक्षण कार्य को प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए सहायक सामग्री का विशेष महत्व है इसके लिए सहायक सामग्री निर्मित की जाए और शिक्षण कार्य में अधिकाधिक उपयोग किया जाये। बालकों को भी निर्देश देकर सहायक सामग्री निर्मित कराई जा सकती है। बालकों को नियमित रुप से गृह कार्य दिया जाए और उसकी जॉच कर संशोधन कराया जाए। सुन्दर हस्तलिपि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। गलतियों पर बालकों को प्रताड़ित व डांट फटकार न करके उन्हें प्यार से धीरे–धीरे समझाया जाये। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने वाले बालकों को शाबासी देकर व पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाये। इससे उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो सकेगा और उनकी अधिगम क्षमता बढ़ेगी । मूल्यांकन प्रकिया को अधिक वस्तु

पंरक व न्याय संगत बनाया जाए, जिससे ऐसा लगे कि शिक्षक ने बालकों के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया है।

शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालय में निम्न प्रवृत्तियों व गतिविधियों का संचालन कर विद्यालय वातावरण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

- ❖ प्रार्थना सभा का प्रभावी संचालन
- ❖ अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास
- ❖ शिक्षकों द्वारा उद्‌बोधन
- ❖ स्वच्छता
- ❖ खेल–कूद
- ❖ दल व्यवस्था
- ❖ बाल सभा
- ❖ हिन्दी भाषा का प्रयोग
- ❖ बालकों को नाम से सम्बोधन करना
- ❖ अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्यालय में आमंत्रण
- ❖ बालकों में वैज्ञानिक सोच का विकास आदि ।

6.2 भौतिक सुविधाओ में विस्तार : – गुणवतापूर्ण शिक्षा देने के लिये विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (भवन, श्याम पट्ट, शिक्षण सामग्री, शिक्षण उपकरण) आदि मुहैया करवाये जावेगें । साथ ही अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, हैण्डपम्प, के निर्माण का प्रस्ताव भी सर्वशिक्षा योजना में रखा गयाहै ।

6.3 शैक्षिक सुविधाये : – शिक्षा में गुणवता लाने के लिये पाठयपुस्तको में सुधार की भी आवश्यकता है अतः कक्षा 6–8 की पाठयपुस्तकों की समीक्षा कराने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा योजना में रखा गया है ताकि पाठयपुस्तकों को बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल एवँ सामाजिक अपेक्षाओं के अनुकूल बनाया जासके । शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित करने विषय वस्तु का ज्ञान करवाने एवँ अभीष्ठ क्षमता विकसित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष शिक्षकों के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जावेगा ।

शिक्षण को रूचिपूर्ण एवँ आकर्षक बनाने के लिये व शिक्षणं अधिगम सामग्री बनाने हेतु उच्च प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये रूपये 500/रू प्रति अध्यापक दिया जावेगा ।

प्रत्येक विषय के अध्यापकों को डाइट/बी.आर.सी. के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के सदंर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण दिया जावेगा ताकि वे शिक्षकों को विषय शिक्षण की नवीनतम जानकारी तथा शिक्षणं की नवीन तकनीकियों से समय समय पर अवगत करवा सके ।

6.4 विद्यालय अनुदान राशि

गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय अनुदान राशि दी जायेगी। जिससे विद्यालय मे आवश्यक सुविधा जुटाने मे मदद मिले। इस राशी मे से विद्यालय रखरखाव पुताई, घूघरी बनाने हेतु आवश्यक संसाधन जुंटाने आदि मे किया जा सकता है। इस हेतु 2000/– रु प्रति विद्यालय अनुदान राशि का प्रावधान है।

6.5 शिक्षण सहायक सामग्री (टी.एल.एम.)

कक्षा कक्ष शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो के अध्यापको को 500/– रु प्रति वर्ष प्रति अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जायेगें, जिसमे से अध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण कर सकंगे एवं अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकेगें ।

6.6 निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण

प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बालक बालिकाओ को निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरित करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान मे है। वर्तमान मे समस्त राज. प्राथ. विद्यालयों मे पढ रहे बालक बालिकाओं को निशुल्क पाठय पुस्तके मिल रही है तथा कक्षा 6 से 8 तक के बालिकाओं को भी निःशुल्क पाठय पुस्तके प्राप्त हो रही है।

6.7 पुस्तकालय अनुदान विद्यालयेा मे पुस्तकालयो का विशेष महत्व है । प्राथमिक कक्षा मे पढनें वाले बालक बालिकाओ को बालगीत, कविता, कहानियां तथा उनके अनुरुप सामान्य ज्ञान आदी की पुस्तके साथ ही अध्यापको को भी उनके विषय से सम्बन्धित शिक्षण सन्दर्भ पुस्तके पुस्तकालय अनुदान द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगीं । इन पुस्तको मे से विद्यालय का वातावरण शैक्षिक एवं आनन्ददायी बन सकेगा।

6.8 प्रशिक्षण गुणवत्ता युक्त शिक्षण हेतु शिक्षको को विशेष रुप से आनन्ददायी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के द्वारा –

- ❖ गतिविधि आधारित शिक्षण
- ❖ बाल केन्द्रित शिक्षण विधिया
- ❖ शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निर्माण
- ❖ बहूवर्ग एवं बहूकक्षा शिक्षण
- ❖ अनुपयोगी वस्तुओ से शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण
- ❖ शिक्षण सहायक सामग्री के समुचित उपयोग की जानकारी
- ❖ सामुदायिक गतिशीलता
- ❖ जैण्डर संवेदनशीलता
- ❖ विकलांगों हेतु एकीकृत शिक्षा
- ❖ शिक्षण में हो रहे नवाचारो से अवगत करवाना

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जावेगा । ये प्रशिक्षण निम्न प्रकार होगें । सभी उच्च प्रा. कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को 20 दिवसीय सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर दिया जायेगा । जिसमें 9 दिवसीय विषय वस्तु पर आधारित तीन दिवसीय शिक्षण सामग्री निर्माण और 8 दिवसीय मासिक बैठक प्रत्येक माह एक दिन दिया जावेगा । दक्ष प्रशिक्षक डाईट तैयार करेगी, अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 60 दिवसीय प्रशिक्षण (आवासीय) डाईट करवायेगी । 30 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक पर होगें ।

कम्प्यूटर शिक्षा :– कक्षा 6 से 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर का समावेश एक नवाचारी प्रयोग है जो आज की मॉग को लेकर आवश्यकता भी है। क्योंकि अब समय आ गया है जब शिक्षा को जीविकोपार्जन के व्यवसाय से जोडा जाय। विज्ञान के प्रयोग व ज्ञान के विस्फोट ने कम्प्यूटर का ज्ञान लाजमी बना दिया है। अतः करौली जिले में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय 269 है। उनमें कम्प्यूटर लगायें जायेंगे जिनकी लागत का भार सर्व शिक्षा अभियान में बहन किया जायेगा।

एवँ मानसिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, समाज के शिक्षा से वंचित रहे हुये अभिभावकों के बच्चों का मानसिक स्तर बहुत ही निम्न होने की वजह से वह शिक्षा से सहज ही नही जुड पाते है ।

समाज के वंचित वर्ग जैसे विकलांग बालक बालिका, धुमन्तु परिवार (मीणा जाटव , बंजारे, भेड़ पालक,रैगर,चमार,मेघवाल) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति आदि में बालकों के लिये विशेष शिक्षण सुविधायें उपलब्ध करवाई जावेगी ।

7.2 जेण्डर संवेदनशीलता :– बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में निम्न प्रावधान रखे गये है :–

- बालिका नामांकन पर विशेष प्रयास ।
- कक्षा 1–8 तक की अनुसूचित जाति व जन जाति की बालिकाओं को पाठयपुस्तकों एवँ शिक्षणं सामग्री का निशुल्क विरतण ।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से इन बालिकाओं को लाभान्वित करवाना ।
- समाज में बालिका शिक्षा के प्रति संवेदना विकसित करने के उद्वेश्य से प्रत्येक गाँव में महिला मंचों की स्थापना करना ।
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक स्कूल में बालिका मंचों का गठन करना ।

7.3 ब्रिज कोर्स :– जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा व जो बच्चे उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के कुछ समय पश्चात सामजिक व आर्थिक कारणों से विद्यालय छोड़ देते है तथा उनकी आयु अधिक होने के कारण भौतिक स्तर विकसित होता हैं ऐसे बालको को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स खोलने का प्रावधान रखा गया है । करौली जिले में इसके अन्तर्गत 20 गैर आवासीय व 10 आवासीय ब्रिज कोर्स खोलने का प्रावधान है । इस कोर्स के माध्यम से बालको को कक्षा पांच एवँ आठ स्तर तक की पढ़ाई करवा कर सम्बन्धित परीक्षाये दिलवाई जावेगी ।

7.4 विकलांग बालकों के लिये एकीकृत शिक्षा :– अनेक बालक व बालिकाये शारीरिक विकलांगता के कारण अपनी पढाई जारी नही रख पाने से विद्यालयों में ठहराव

दर काफी कम हो जाती है विद्यालयों में विकलांग बालकों की ठहराव दर बढाने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में निम्न प्रावधान रखे गये है :–

- विकलांग बालकों की विकलांगता की जांच ।
- जॉच के आधार पर उनहे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।
- विकलांग बालकों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना ।
- विकलांग बालकों को राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दिलवाना ।
- उनका एक मेडीकल कार्ड बनवाना ।
- विकलांग बालक बालिकाओं को अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं से सहायता दिलवाना

7.5 वंचित वर्ग के लिये शिक्षा :– वंचित वर्ग जैसे घुम्मकड़ जाति, खदानों पर कार्य करने वाल श्रमिकों के बालक बालिकायें, भेड़ पालक, अनुसूचित जनजाति, जन जाति आदि के बच्चे जो उच्च प्राथमिका शिक्षा तक नहीं पहूँच पाते है को शिक्षा से वापिस जोड़ने के लिये प्रयास किये जाने है तथा सुविधायें उनहे उपलब्ध करवाना है :–

- वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ।
- अनुसूचित जन जाति के बांलक बालिकाओं के लिये छात्रवृत्ति
- छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाना ।

7.6 कामकाजी बच्चों के लिये शिक्षा :– पढ़ने लिखने की आयु में ही धर के काम अथवा जीविका निर्वाह से जुड़ जाने वाले बालको के लिये शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जावेगी । इसके अन्तर्गत 4 धण्टे के 50 वैकल्पिक विद्यालय खोले जावेगे । यह विद्यालय बालको के सुविधानुसार समय में (प्रातः काल व सांयकाल) चलाये जावेंगे ।

अध्याय –8

2002–2010

अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

अनुसंधान ,मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए निरन्तर नवीन नवाचार एवं नवीन विधाओं का अनुसंधान कर प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग करने के पश्चात् प्राप्त परिणामों हेतु विषय वस्तु के मूल्याकन ,परिवीक्षण एवं प्रबोधन की आवश्यता होती है। इसी कडी में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्वशिक्षा अभियान, में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है। पाठ्यकम, पाठ्यपुस्तक विकास ,अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रकिया का नियमित मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग विशेश रूप से आवश्यक है। इस प्रयास में समुदाय की भागीदारी महत्तवपूर्ण है। बच्चों की प्रगति एवं विद्यालयी प्रकिया को बढावा देने के लिए वी,ई,सी, पी,टी,ए, एस,ई,सी, एम,टी,ए, एवं एम,एस,सी आदि को मासिक मीटिंग /पाक्षिक मीटिंग का आयोजन कर सर्वशिक्षा अभियान में सम्मलित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों का उपलब्धि स्तर एवं प्रत्येक तीन वर्ष में सामयिक पर्यवेक्षण का प्रबन्ध किया गया हे।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य ,जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर रिसर्च ग्रप्स का गठन किया जावेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य, जिला ब्लाक एवं संकुलो पर गठित संदर्भ समूह एस, सी,ई,आर,टी, डाइट, बी,ई,ओं, बी,आर,सी, एवं सी,आर,एस, का पी,एम,आई,एस, की सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेगा।

गुणवत्ता से सम्बन्धित गतिविधियों की व्यूह रचना नियोजन, कियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेगा । इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्यकम विकास ,अध्यापन ,प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों में सलाह एवं मार्गदर्शन करना हे।

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान में अनुसंधान ,मूल्यांकन,परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्तवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जिनके माध्यम से ही गुणवत्ता शिक्षा मे सुधार एवं निरन्तर अधिगम की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर मापी जा सकती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–2004 में कक्षा 3 का बेस लाइन सर्वे करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है।

बेस लाईन सर्वे :– वर्तमान उपलब्धि स्तर का अध्ययन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वि. मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालक (विशिष्ट फोकस ग्रुप) छात्रा अनु. जाति/जनजाति , विकलांग ग्रमीण व दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों का अध्ययन करना कक्षा कक्षों की विशेष परिस्थितियों के लिये अध्ययन करना। ।

सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन (सोशियल असिसमेंट स्टडी) :– इसका प्रमुख उद्देश्य वर्तमान आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं व उनका समाधान करने के तरीके निकालना है। तथा खास तौर से विभिन्न समुदायों में रह रहे क्षेत्रानुसार अनु.जाति/जनजाति व अन्य कमजोर समुदायों के बच्चे/बच्चियों की समस्याओं को सुलझाने के लिये तथा वर्तमान परिदृश्य को कैसे प्रभावी बनया जाये तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को कैसे अच्छा व मजबूत बनाया जाये।

उपरोक्त कार्य के लिये जिले में एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया जावेगा जो अनुसंधान की गतिविधियों को बढावा देने का कार्य करेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसंधान ,मूल्यांकन ,परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्तवपूर्ण स्थान देते हुए निम्न प्रकार से बजट का प्रावधान रखा गया है।

ठेकाई लागत	2002–2003		20003–2004		2004–2005		2005–2006		2006	
	विद्यालयो की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि
1400 रू, प्रति विद्यालय	277	3.878	280	3.920	358	5.012	430	6.020	467	6.538

प्रबोधन–

भूमिका–

किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं कियान्वयन हेतु एक दृढ, एवं जवाबदेही प्रबोधन तन्त्र का होना आवश्यक है। प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं कियान्वयन किया जा सकता हैं। इस कार्य को मूर्त रूप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रबोधन हेतु तीन मुख्य कार्यक्रमों को सम्पादित किया जायेगा।

1. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र
2. योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र
3. वित्त प्रबंधन सूचना तन्त्र

प्रबोधन के उद्देश्य

1 प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्श ज्ञात करना व उनका समय पर विश्लेशण करना ।

2 नामांकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना।

3 विद्यालय में अध्ययनरत छात्रो की परिलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनो पर विशेश ध्यान रखना।

4 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कियान्वित हो रहे सभी कार्यो की मॉनिटरिंग करना।

शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र

जिला स्तर पर जिला सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना एनआईईपीए द्वारा निर्धारित डीआईएसई 2001 के प्रपत्रों में एकत्रित की जायेगी। गांव की सूचनाए हर तीन वर्श बाद एवं विद्यालय की सूचनाये प्रत्येक वर्श एकत्रित की जायेगी। ये सूचनाये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ,एस एम सी के अध्यक्ष , सीआरसीएफ द्वारा प्रमाणित की जायेगी। जिसके माध्यम से शैक्षिक सांख्यिकी में नामांकन ठहराव एवं ड्राप आउट के सूचक तैयार किए जावेगे। यह नियोजन एवं अनुश्रवण में इनपुट का काम करेगें। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तंत्र ,जिले के अन्तर्गत आने वाले कम्पयूटर डाटाबेस तैयार किया जावेगा, जिससे उक्त विद्यालयों के शैक्षिक डाटाबैस,शिक्षाविदों ,प्रशासकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को जिला स्तर पर ,राज्य स्तर पर एवं राश्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो सकें, जिनका विश्लेशण कर भविश्य की योजना निर्माण एवं कार्यक्रम कें संचालन में सहयोग मिल सकें।

ई, एम, आई, एस, के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है–

1 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को नामांकित करना।

2 अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करना ।

3 अध्यापको की जानकारी देना ।

4 नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी लेना।

5 विद्यालय छात्र अनुपात ,कक्षा कक्ष छात्र अनुपात एवं शिक्षक छात्र अनुपात ज्ञात करना।

अध्याय –9

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र के द्वारा ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वित्त सम्बन्धी खर्चे एवं प्रापति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। डी,पी,ई,पी, द्वारा इस कार्य हेतु एक कम्पयूटर सोफ्टवेयर बनवाया गया है जिसके अन्तर्गत खर्चे, प्राप्तियां ,बजट,एस्टिमेशन ,बजट एलोटमेंट इत्यादि कार्य प्रभावी ढंग से सम्पादित किये जा सकते है।

सर्व शिक्षा अभियान में कोषप्रवाह निम्नानुसार प्रस्तावित है–

जिला परियोजना समन्वयक

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र

स्कुल संदर्भ केन्द्र विद्यालय प्रबन्धन समिति

प्रबोधन कार्मिक

प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर डी,पी,ई,पी, में कार्यरत एम,आई,एस, प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्री ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर उक्त स्टाफ (एम,आई,एस,प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्री ऑपरेटर) के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य संचालय हेतु दिये गये है।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे।

प्रबोधन संसाधन–

सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु डी,पी,ई,पी,में उपलब्ध दो कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर सिस्टम की जिला स्तर पर आवश्यकता है।

ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रबोधन हेतु एक–एक कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता है।

6 विभिन्न हैडस में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना।

7 सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति दर एवं आकडों का विश्लेशण करना।

8 समय–समय पर समस्त सूचनाओं का आदिनांक करना जिससे की प्रगति की सही समीक्षा की जा सकें।

योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र

- ❖ एक अच्छे नियोजन के लिए
- ❖ व्यूह रचना के अनुश्रवण के लिए
- ❖ प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने हेतु
- ❖ तंत्र में अच्छे कियात्मक कार्य

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्व सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र (पी,एम,आई,एस,) के द्वारा समस्त सुचनाएँ समय–समय पर एकत्रित की जायेंगी। योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे में जानकारी ली जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान में पी,एम,आई,एस के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके कियान्यवयन में सुविधा प्राप्त होगी। इस हेतु पी,एम,आई,एस, के द्वारा समस्त सूचनाएँ एक साथ प्राप्त की जा सकेगी।

सूचना प्रबन्धन तंत्र :– सूचना प्रबन्धन तंत्र को परियोजना से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाटा कार्य कलैक्शन व विश्लेषण के अलावा निम्न सूचना तैयार करनी है।

1. पहुँच 2. ठहराव 3. गुणवत्ता से संबंधित बातें तथ्य पूर्ण कियान्वयकन के कार्यकम के अनुसार प्रगति की जानकारी मिलती है।

   लक्ष्य समूह (एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी.) छात्रों की जानकारी ई.जी.एस./ए. आई.ई. से संबंधित बातों की प्रगति तथा इसके साथ ही एम.आई.एस. निर्णय में सहयोग तंत्र (डिसीजन सपोर्ट सिस्टम) के रूप में भी कार्य करेगा।

   डाइस भी एस.एस.ए. को सपोर्ट करने में रीड की हड्डी साबित होगी।

वित्त प्रबन्ध सूचना तंत्र

प्रबन्धन शब्द का संबंध न केवल औद्योगिक क्षेत्र मे अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी भरपूर प्रयोग में लाया जा रहा है । प्रबंधन लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रभावी माध्यम है । प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में बालक को पूर्णतः शिक्षार्थी के रूप में ही प्रतिस्थापित नहीं करता वरन् बालक में सद्वृतियों का विकास कर अच्छे नागरिक का निर्माण करता है ।वास्तव में समुदाय भी अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करता है ताकि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां बालक के सर्वतोन्मुखी विकास में सहायक बन सके। प्रबंधन में तीन तथ्य महत्वपूर्ण है :–

1 उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण

2 पर्याप्त संसाधन (शिक्षक, शिक्षण विधाएं, भौतिक संसाधन, खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय) तथा उनका उपयोग ।

3 सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन। प्रबंधन न केवल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन उपलब्ध कराता है अपितु लक्ष्यों के अर्जन हेतु कार्मिकों के कार्यों का परिवीक्षण कर यथा स्थान निर्देशन व सुझाव देकर उपलब्धियों एवं कमजोरियों को दूर करने का कार्य भी करता है ।सर्व शिक्षा अभियान में भी विभिन्न स्तरों पर परिवीक्षण की समुचित व्यूह रचना की गई है ।

9.2 जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यालय है जहां जिला परियोजना समन्वयक सहित सहायक जिला परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम सहायक एवं निर्माण कार्य हेतु सहायक व कनिष्ठ अभियंता तथा लेखा संधारण कार्य हेतु सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार व केशियर कार्यरत है ।

- जिला परियोजना समन्वयक
- सहायक परियोजना (वै.शि.)
- सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण)
- सहायक परियोजना समन्वयक (ई.सी.ई. जैण्डर)
- सहायक परियोजना समन्वयक (सामु.गति.)
- कार्यक्रम सहायक

- सहायक अभियन्ता
- कनिष्ठ अभियन्ता
- लेखाकार
- कैशियर
- एम.आई.एस. ईन्चार्ज
- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
- कार्यालय सहायक

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

एक सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी एवं कार्यक्रम सहायक व एक वरिष्ठ लिपिक या लिपिक का पद अतिरिक्त रहेगा ।

जिला स्तर पर – 1.50 लाख का संसाधन हेतु प्रावधान किया गया है । 5 कम्पयूटर किराये पर (मय ऑपरेटर) प्रत्येक ए.पी.सी. को एक एक उपलब्ध करवाया जायेगा ।

डी.पी.सी. का एक कम्पयूटर मय इन्टरनैट सुविधा व घर के लिए एक टेलिफोन तथा एक मोबाईल फोन भी उपलब्ध करवाया जायेगा तथा 1 लाख की फर्नीचर सुविधा व 2 अतिरिक्त वाहन भी उापलब्ध करवाये जायेगें ।

खण्ड स्तर पर – खण्ड संदर्भ केन्द्र को सुदृढीकरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक बी. आर.सी.एफ. पर एक कम्पयूटर मय ऑपेरटर तथा एक अकाउन्टेन्ट व इसके साथ ही टी. वी. व वी.सी.आर./वी.सी.डी. भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

संकुल संदर्भ केन्द्र – प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को उसके द्वारा किये गये भ्रमण के लिए अधिकतम 600 रू. या प्रत्येक कि.मी. के लिए 1 रू. दोनो में जो भी कम हो की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी :– जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को सुदृढीकरण प्रदान करने हेतु एक कम्पयूटर मय ऑपरेटर, फैक्स मशीन, फोटो कॉपीयर, की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एक टेलीफोन निवास के लिए भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

ब्लॉक स्तर पर – बी.ई.ई.ओ. कार्यालय हेतु भी एक कम्पयूटर मय ऑपरेटर, एक फोटो कॉपीयर व अधिकतम 1000 रू. वाहन भत्ता या प्रति कि.मी. व्यय दोनों में जो भी कम हो की सुविधा उपलबध करवाई जायेगी ।

प्रबन्धन तंत्र

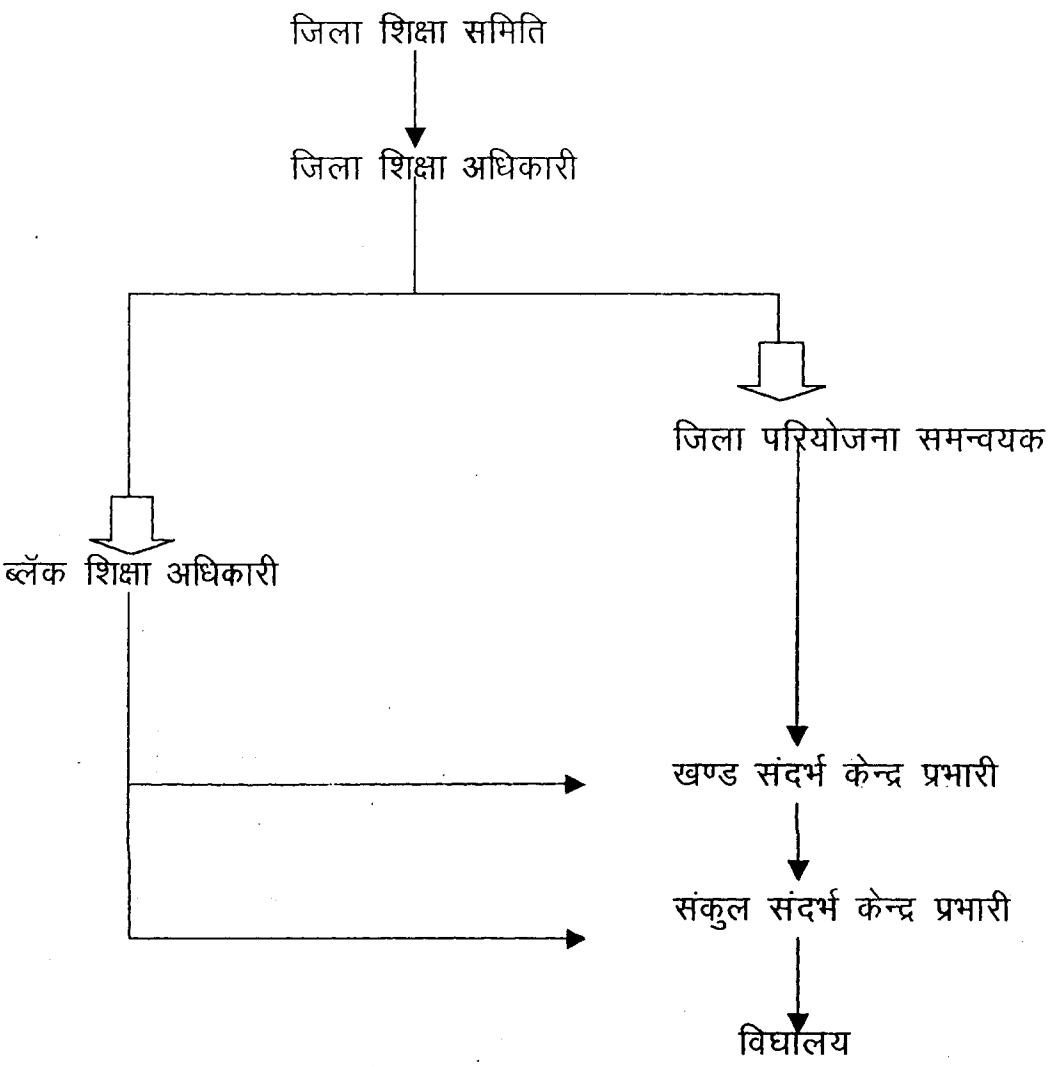

9.3 अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) तथा अतिरिक्त ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी कार्यरत है जिन पर ब्लॉक की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं परिवीक्षण का दायित्व है ।जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों से समन्वय का दायित्व जिला समन्वयक का है । जो शिक्षकों को प्रशिक्षण,सहायक सामग्री निर्माण एवं भौतिक साधन उपलब्ध कराने हेतु संसाधन उपलब्ध कराता है तथा परिवीक्षण में भी समन्वय रखा जाता है ।

9.4 जिला परिषद

- जिला प्रमुख
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)

- अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- प्रधान (पंचायत समिति) ब्लॉक स्तर
- विकास अधिकारी
- सरपंच (ग्राम स्तर)

9.5 प्रत्येक जिले में अकादमिक निर्देशन, अनुसंधान एवं शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण तथा विषयवस्तु में दक्षता वृद्वि हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है जो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्राधीन है ।

डाइट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं परियोजना के लक्ष्यों हेतु प्रशिक्षण एवं परिवीक्षण में सहभागिता हेतु संस्थान को वाहन उपलब्ध कराना, मशीनरी, मरम्मत एवं रखरखाव हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । दूरस्थ शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं अधिकतम उपयोग हेतु डिश ऐन्टीना एवं कैसेट्स दिए गये तथा दैनिक प्रसारण को रिकार्ड कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है ।

9.6 जिले की आवश्यकताओं की पहचान, स्थानों का निर्धारण एवं योजना निर्माण में जनभागीदारी हेतु जिला स्तर पर शाषीपरिषद् का गठन जिला प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें सम्पूर्ण जिले के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी एजेन्सीज स्वंयसेवी संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसमें निम्न सदस्य है :–

शाषी परिषद(जी.सी.).

- जिला प्रमुख (अध्यक्ष)–1
- सांसद–3 (1– लोक सभा तथा 2 राज्य सभा)
- समस्त विधायक –05
- समस्त प्रधान –05
- समस्त विकास अधिकारी –05
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् –1
- जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक –1

- अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि.–1
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–1
- परियोजना निदेशक, महिला बाल विकास–1
- समाज कल्याण अधिकारी–1
- प्राचार्य डाइट–1
- स्वयं सेवी सगठंन प्रतिनिधि–2
- अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग –1
- सचिव, जिला साक्षरता समिति –1

9.7 जिले में निर्मित योजना को कार्यरूप में परिणित करने, बेहतर लक्ष्यों की प्राप्ति एवं समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (निष्पादक समिति) का गठन किया गया है जिसमें निम्न सदस्य हैः–

9.8 निष्पादक समिति (ई.सी.)

- जिला कलक्टर, अध्यक्ष
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
- प्रधानाचार्य, डाइट
- समाज कल्याण अधिकारी
- उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास
- सचिव, जिला साक्षरता समिति
- शिक्षाविद्–दो
- स्वंय सेवी संगठन प्रतिनिधि–2
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)
- जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)

- जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी.
- अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- सहायक परियोजना समन्वयक , डी.पी.ई.पी.–3
- कार्यकम सहायक डी0पी0ई0पी0–3

9.9 जिला सन्दर्भ समूह

जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यकारी व निष्पादक समिति को संबलन प्रदान करने हेतु कार्यकमवार 5 जिला संदर्भ समूह का गठन किया गया है प्रत्येक समूह में 6 सदस्य मनोनीत है ।

जिला निष्पादन समिति वर्ष में चार बार त्रैमासिक बैठकें कर जिला निष्पादन समिति के प्रस्तावों / निर्णयों को कियान्वित करेगी साथ ही विगत तीन माह में की गई गतिविधियों की प्रगति का कम्पोनेंटवार समीक्षा करेगी।

9.9.1 जिला संदर्भ समूह – सर्व शिक्षा अभियान के बौद्धिक एवं अकादमिक पक्ष को व्यवस्थित, नियमित, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु जिला संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तावित की गई हैं। औपचारिक प्राथमिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, सिविल कार्य हेतु चार जिला संदर्भ समूह गठित करने एवं इनकी त्रैमासिक बैठकों का प्रावधान प्रस्तावित हैं, प्रत्येक जिला संदर्भ समूह में एक कार्यकम प्रभारी, एक डाईट का संदर्भ व्यक्ति, एक सेवानिवृत शिक्षाविद्, एक अभियन्ता एवं एक योग्य अनुभवी अध्यापक सदस्य होते हैं।

9.9.2 खण्ड संदर्भ केन्द्र :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर खण्ड संदर्भ केन्द्र संचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान में खण्ड संदर्भ केन्द्र के महत्व को स्वीकार करते हुए उनको मौजूदा स्वरूप में ही चलाने का प्रावधान हैं। खण्ड संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाने हैं ।

1. शिक्षकों के प्रशिक्षण – प्रेरण प्रशिक्षण, अभिनवन प्रशिक्षण एवं विषयगत प्रशिक्षण, सेवारत एवं पैरा टीचर हेतु प्रशिक्षण करवाना।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का प्रशिक्षण आयोजित करना।
3. संकुल प्रभारियों की मासिक बैठक आयोजित करना।
4. माह में न्यूनतम् एक संकुल का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना।
5. किसी एक संकुल एवं एक संदर्भ व्यक्ति को चयन कर आदर्श संकुल तथा आदर्श संदर्भव्यक्ति निर्मित करना।

6. माह में न्यूनतम एक प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय /ई.सी.ई. केन्द्र का खण्ड संदर्भ व्यक्ति अथवा संकुल संदर्भ व्यक्ति द्वारा अवलोकन करवाना।
7. समुदाय से सहभागिता स्थापित करना।
8. जनप्रतिनिधियों एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित करना।
9. जिला परियोजना कार्यालय / डाईट / संकुल केन्द्र तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
10. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।
11. जिला स्तरीय सूचना तन्त्र को संकुल एवं ब्लॉक की सूचना उपलब्ध करवाना।
12. शाला प्रबन्धन समितियों को गति प्रदान करना।
13. वातावरण निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाना।
14. निर्माण कार्यो की विद्यालय वार सूचना संकलित करना एवं निर्माण कार्यो की सामान्य प्रगति प्राप्त करना।
15. प्रत्येक खण्ड संदर्भ केन्द्र पर एक खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, तीन संदर्भ व्यक्ति, एक कैशियर कम टाईपिस्ट, एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, एक लिपिक, एक सहायक कर्मचारी के पद प्रस्तावित किये गये हैं। प्रत्येक खण्ड संदर्भ केन्द्र के संचालन का वार्षिक बजट 6.00 लाख रूपयें हैं।

9.9.3 खण्ड शिक्षा समिति – ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों, प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों एवं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े पदाधिकारियों के बीच सार्थक संवाद एवं रचनात्मक सहयोग की निरन्तरता बनाये रखने हेतु खण्ड शिक्षा समिति के गठन एवं त्रेमासिक बैठकों के आयोजन का प्रावधान हैं। खण्ड शिक्षा समिति में निम्न सदस्य हैं–

<u>ब्लॉक स्तर पर :–</u>

1. प्रधान (अध्यक्ष)
2. ब्लॉक सन्र्दभ केन्द्र प्रभारी, ड़ी.पी.ई.पी.(सचिव)
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
4. पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य

5. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

6. सी.ड़ी.पी.ओ.

7. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी

8. सेवानिवृत अध्यापक

त्रेमासिक बैठकों में विगत तीन माह की परियोजना के कार्यकमों की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी तीन माह हेतु होने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार करना तथा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा।

9.10 संकुल संदर्भ केन्द्र– सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित पूरे जिले में 56 संकुलों को यथा स्थिति स्वीकार किया गया हैं। तथा संकुलो की संख्या 56से बढाकर 71संकुल किया जाना प्रस्तावित हैं । वर्तमान में पूरे जिले में ब्लॉक वार संकुलों की संख्या निम्नानुसार हैं।

क.सं.	ब्लॉक	संकुल संख्या	प्रस्तावित संकुल संख्या
1.	करौली	12	17
2.	हिण्डौन	13	15
3.	टोडाभीम	10	11
4.	सपोटरा	14	20
5.	नादौती	07	08
	योग	56	71

वर्तमान में संकुल संदर्भ केन्द्र 4से 5ग्राम पंचायतों, एक नगरपालिका की परिधि में स्थित हैं। प्रत्येक संकुल पर संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी पदस्थापित हैं। इनके वर्तमान स्वरूप को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत प्रस्तावित किया गया हैं प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र का वार्षिक संचालन बजट 2.00 लाख रूपयें हैं। संकुल संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। (वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ये सभी कार्य किये जा रहे हैं)

1. प्रत्येक विद्यालय का शाला मानचित्रीकरण, सूक्ष्मनियोजन एवं विद्यालय का कैचमेन्ट एरिया निर्धारित करना।
2. शाला प्रबन्धन समितियों का गठन एवं अभिमुखीकरण।
3. शिक्षक / पैरा टीचर की मासिक बैठके आयोजित कराना।
4. ई.सी.ई. प्रेरक / बालिका मंच की त्रैमासिक बैठके आयोजित करना।
5. संकुल स्तर पर बाल–मेला, कला जत्था एवं महिला बैठकों का आयोजन करवाना।
6. विद्यालयों में निर्माण कार्यो के लिए भवन निर्माण समितियों का गठन करवाना।
7. विद्यालयों से नामांकन, ठहराव की मासिक सूचनाऐं प्राप्त कर खण्ड संदर्भ केन्द्र पर पहुंचाना।
8. ब्लॉक स्तर की संकुल प्रभारियों की मासिक मीटिंग में भाग लेना।
9. विद्यालयों में शाला सुविधा अनुदान राशि (SFG) एवं शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) हेतु दी गई राशि के प्रभावी उपयोग की सुनिश्चितता करना।
10. अपने संकुल क्षेत्र के विद्यालयों से निर्माण कार्यो की सूचना प्राप्त करना एवं जारी निर्माण कार्यो की प्रगति / अवरोधों की जानकारी ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता को देना।
11. विद्यालयों के शैक्षिक सूचनाऐं, मूल्यांकन एवं प्रबोधन संबंधी सूचनाओं को ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवाना।
12. प्रति वर्ष प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में कमोन्नत होने वाले विद्यालयों के प्रस्ताव एवं हो चुके विद्यालयों की सूचना ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पहुंचाना।
13. शाला प्रबन्धन समितियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित् करना।

9.11 संकुल संदर्भ समूह – प्रत्येक संकुल स्तर पर शिक्षकों एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को मिलाकर एक संकुल संदर्भ समूह गठित करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित हैं। इसकी मूल अवधारणा एवं कार्य पद्धति डी.पी.ई.पी. से अभिप्रेरित हैं। प्रत्येक संकुल संदर्भ समूह में अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण एवं हिन्दी विषय का एक–एक शिक्षक एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी होता हैं। विषय अध्यापक–सदस्य एवं संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी–संयोजक होता हैं।संकुल संदर्भ समूह का वर्ष में एक बार ब्लॉक स्तर पर अभिमुखीकरण प्रस्तावित हैं। संकुल स्तर पर आयोजित शिक्षकों / पैराटीचर की मासिक बैठकों में संकुल संदर्भ समूह समस्त शिक्षकों / पैरा टीचर को बौद्धिक एवं अकादमिक सम्बलन प्रदान करता हैं। दैनिक पाठ योजना, गृह कार्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम विभाजन, प्रश्न पत्र निर्माण, शिक्षण अधिगम् सामग्री की उपयोगिता, विषयगत कठिन पाठों को सरल रूप में प्रस्तुत करने की विधा विकसित करने, नामांकन, ठहराव, विद्यालय सौन्दर्यकरण एवं विद्यालयों की वार्षिक योजना निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में उत्प्रेरक का कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया हैं।

9.12 शाला प्रबन्धन समिति – प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी पाठ्यशाला स्तर पर डी.पी.ई.पी. द्वारा गठित शाला प्रबन्धन समितियां एवं उनकी कार्य पद्धति को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत् स्वीकार किया गया हैं। शाला प्रबन्धन समिति में निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं –

1. सरपंच/वार्ड पंच (अध्यक्ष)
2. प्र.अ.,प्रा.वि./उ.प्रा.वि./रा.गां.स्व.पा. (सचिव)
3. वार्ड सदस्य – 5 (1 अ.जा.,1 ज.जा., 1 महिला,2 अन्यं)
4. ग्राम सेवक
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
6. अध्यापक – 2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)
7. अभिभावक/संरक्षक –2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)

विशेष आगन्तुक

8. ए.एन.एम.
9. सेवानिवृत कर्मचारी

10. सामाजिक कार्यकर्ता

शाला प्रबन्धन समिति मे कुल सदस्यों का एक तिहाई महिलाओं का होना अपेक्षित हैं। वर्ष में एक बार शाला प्रबन्धन समिति का संकुल स्तर पर अभिमुखीकरण प्रस्तावित हैं। अभिमुखीकरण में निम्न बिन्दुओं पर विशेष चर्चा एवं जानकारी का आदान–प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं–

1. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की मूल अवधारणा।
2. नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक अभिवृद्धि पर विशेष बल।
3. सर्व शिक्षा अभियान के उद्धेश्य एवं व्यूह रचनाऐं।
4. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में जन सहभागिता।
5. जैण्डर संवेदनशीलता।
6. शाला प्रबन्धन समितियों तथा ई.सी.ई. केन्द्रों द्वारा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य , पोषण, टीकाकरण एवं छोटे बच्चों की सार–संभाल पर अपनी–अपनी सेवाऐं प्रदान करना।

शाला प्रबन्धन समिति के कार्य :–

1. ग्राम स्तर पर शाला मानचित्रीकरण, सूक्ष्मनियोजन तथा कैचमेंन्ट एरिया संबंधी कार्य करना।
2. भवन रहित विद्यालय हेतु भवन की भूमि का चिन्हीकरण, पट्टा प्राप्त करना , भवन निर्माण समिति का गठन एवं सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त राशि से ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करवाना
3. शाला भवन की मरम्मत, पेयजल सुविधा, विद्यालय सौन्दर्यकरण में सकिय सहयोग प्रदान करना।
4. भवन निर्माण संबंधी सामग्री का कय करना एवं तत्संबंधी लेखों का संधारण करना।
5. शत् प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित् करना।
6. विद्यालय में सभी शिक्षकों की पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित् करना।
7. सर्व शिक्षा अभियान में दी गई भवन रख–रखाव राशि 5000/–रूपये विद्यालय अनुदान राशि 2000/–रू. तथा प्रत्येक शिक्षक को दी जाने वाली राशि

500/–रूपयें के प्रभावी उपयोग की रणनीति बनाना, सामग्री कय करना एवं समस्त बिल वाउचर का संधारण एवं केश बुक (रोकड़) का संधारण करना।

8. विद्यालय स्तर के सांस्कृतिक एवं खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
9. गांव के वैकल्पिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र / ई.सी.ई. केन्द्रो के प्रभावी संचालन में सहयोग प्रदान करना।
10. शिक्षकों को पुरस्कृत करना।
11. ग्राम स्तर पर महिला मीटिंग एवं संकुल स्तर पर बाल–मेला, कला–जत्था के आयोजन में सकिय सहयोग प्रदान करना।
12. 15 अगस्त, 26, जनवरी, 2 अक्टूंबर एवं 20 मई को होने वाली ग्राम–सभाओं में शैक्षिक प्रस्तावों को यथा – पैराटीचर / जी.सी.एम. /ई.सी.ई. प्रेरक के चयन संबंधी कार्यवाहीं करना।
13. विकलांग बालकों की पहचान कर मेडिकल कैम्प में बालकों को भेजना तथा उपकरण दिलवाना।
14. शाला से वंचित बालकों को जोड़ने के नियमित प्रयास करना।

9.13 भवन निर्माण समिति :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य करवाने हेतु शाला प्रबन्धन समिति के सहयोग के लिए भवन निर्माण समिति का गठन सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई. पी. की अवधारणा एवं कार्यशैली को यथावत् रूप से स्वीकार किया गया हैं।भवन निर्माण समिति में निम्न सदस्य रखे गये हैं–

1. सरपंच / वार्ड पंच (अध्यक्ष)
2. संस्था प्रधान, संबंधित विद्यालय (सचिव)
3. ग्राम / वार्ड में उपलब्ध निर्माण कार्यो का जानकार कारीगर / मिस्त्री (दो व्यक्ति– सदस्य)
4. शाला प्रबन्धन समिति से मनोनीत उत्साहित व्यक्ति (सदस्य)।
5. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था में कार्यरत एक अध्यापक (सदस्य)

भवन निर्माण समिति के वर्ष में एक बार कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर B.N.S. प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं। इस प्रशिक्षण में सभी सदस्यों, सचिव एवं अध्यक्ष को निर्माण कार्यो की विस्तृत तकनीकी जानकारी ले–आऊट, निर्माण कार्यो का तखमीना बिन्दूवार स्पष्ट किया जाता हैं। प्रशिक्षण के उपरान्त तय सीमा एवं प्राप्त राशि का निर्माण कार्यो में उपयोग कर पूर्णता के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना, भवन–निर्माण समिति का कार्य हैं। भवन निर्माण से संबंधित सामग्री यथा–पत्थर, ईट, रेत, सीमेंट, लोहा आदि न्यूनतम् बाजार मूल्यों पर एवं गुणवत्ता युक्त स्तर का क्रय करना तथा मजदूरों एवं कारीगरों की व्यवस्था करना एवं निर्माण से संबंधित बिल वाउचर तथा केश बुक संधारित करना, भवन निर्माण समिति का कार्य हैं। निर्माण का अधूरा रहना, मजदूरों का भुगतान नहीं करना, घटिया सामग्री लगाना तथा घटिया स्तर का निर्माण कार्य करवाने तथा बिना जरूरत के अपने पास नगद धन–राशि रखना तथा लेखा संधारण नहीं करने पर भवन निर्माण समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान में भवन निर्माण समिति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाहीं करने की पूर्ण स्वीकृति प्रस्तावित की गई हैं।

कोष प्रवाह :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कोष प्रवाह हेतु सुनिश्चित तंत्र विकसित किया गया हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त धन जो जिलें के विभिन्न गतिविधियों की कियान्विति हेतु दी गई वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमोदन पश्चात् ही दी जाती हैं को निदेशक, रा.प्रा.शि.प. के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान हैं। निदेशालय स्तर से जिला परियोजना समन्वयक के खाते में चैक द्वारा धन राशि जमा होती हैं। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपनी मासिक / दैनिक गतिविधियों हेतु राशि आहरित कर खण्ड संदर्भ केन्द्र / संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारियों के खाते में स्थानान्तरित करदी जाती हैं। खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी / संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा एस.एम.सी. सीधे संबंधित व्यक्ति को राशि चैक द्वारा दी जाती हैं।

अध्याय–10

निर्माण कार्य

10.1 भूमिकाः—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने निर्माण कार्यों में मिली आशातीत लोकप्रियता एवं सफलता को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में भी राजकीय प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,राजीव गांधी पाठशाला,वैकल्पिक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही क्षमता विकास के अन्तर्गत खण्ड संदर्भ केन्द्र एवं संकुल संदर्भ केन्द्रों हेतु भी निर्माण कार्य रखे गये है। निर्माण कार्यों में पूरे पांच वर्षीय योजना की कुल राशि का 33 प्रतिशत उच्चतम सीलिंग सीमा रखी गई है।अत समस्त प्रस्ताव 33 प्रतिशत सीमा को ध्यान में रखते हुए बनाये गये है।सारे निर्माण कार्यो के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें है जो निम्न है:—

1. विद्यालयों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्रत्येक विद्यालय की E.M.I.S पुस्तिका एवं विद्यालय/संकुल/ब्लाक/जिला स्तरीय योजना बैठक में प्राप्त पुस्तिका के आधार पर तैयार किये गये है।
2. प्रस्ताव की आवश्यकता एवं मांग के बाद निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनकी वास्तविक मांग का सत्यापन कर प्रस्तावों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया हैं।

1. जिले के कुल निर्माण कार्यों के प्रस्तावों की मांग 33प्रतिशत धनराशि अर्थात करोड रूपये से अधिक होने पर प्राथमिकता के आधार पर तय सीमा राशि के प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकृत किया गया है।
2. निर्माण कार्यों में अन्य जिलें में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं यथा जवाहर रोजगार योजना/डी.आर.डी.ए. की विभिन्न योजनाए/अकाल राहत/दसवें ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यो से मिलान कर प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है ताकि किसी भी स्तर पर दोहराव से बचा जा सके ।

1. निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, स्थानीय तकनीक/संसाधन का उपयोग करते हुए कम लागत एवं समय में सुनिश्चित की जाती है ।

2. निर्माण कार्य ठेके पर नहीं कराकर शाला प्रबन्धन समितियों के माध्यम से करवाने का प्रावधान किया गया है ताकि स्थानीय लोगों की जन सहभागिता एवं भावनात्मक लगाव निर्माण कार्यों में हो सकें। निर्माण कार्य विधालय भवन, अतिरिक्त कक्षाकक्ष, शौचालय, जल सुविधा, चार दीवारी एवं रैम्पस आदि प्रस्तावित किये गये है । निर्माण कार्यो के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रकिया में डी.पी.ई.पी. योजना अवधि में किये गये कार्यो को घटा कर शेष बने प्रस्तावों को सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया गया हैं। निर्माण कार्यो के बिन्दुवार मांग एवं प्रस्ताव निम्न रूप से प्रस्तुत हैं – निर्माण कार्य की राशि जिला स्तर से सीधे ही एस.एम.सी. को प्रदत की जावेगी ।

10.1.1 <u>विद्यालय भवन–</u>

पूर्व में संचालित प्राथमिक विद्यालयों के एवं ब्लॉक स्तर पर कमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भवन रहित स्थिति में हैं, उनमे छात्र संख्या एवं मांग के आधार पर भवन बनाने के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

सारणी : विद्यालय भवन

क0सं0	विवरण	प्रा0वि0	उ0प्रा0 वि0	रा0गा0 पा0	शिक्षाकर्मी विद्यालय	वैकल्पिक विद्यालय
01	कमरों की आवश्यकता	786	1117	453	44	128
02	डी.पी.ई.पी. द्वारा प्रदत	184	120	33	14	64
03	सर्व शिक्षा अभियान	238	600	200	14	64

5 कमरे वाले 64 भवन तथा 3 कमरे वाले 98 भवन प्रा. एवं उच्च प्रा.वि. में बनाये जायेंगें ।

0.1.2 शौचालय –

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय सुविधा देने हेतु प्रस्ताव छात्र संख्या एवं आवश्यकता के आधार पर तैयार किये गये हैं । डी.पी.ई.पी. योजना के पश्चात् शेष रहे 900 प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय सुविधा हेतु 9 करोड रूपयें की राशि प्रस्तावित की गई हैं। एक शौचालय की लागत 10,000 रूपयें निर्धारित की गई हैं।

सारणी 10.1(3) शौचालय सुविधा

क0सं0	विवरण		प्रा0वि0	उ0प्रा0 वि0	रा0गा0 पा0	शिक्षाकर्मी विद्यालय	वैकल्पिक विद्यालय
01	विद्यालयकी संख्या		593	269	406	86	64
02	सुविधा सहित		33	214	2	07	0
03	सुविधा रहित	सामान्य1	560	65	404	79	64
04		द्वितिय बालिकाओ के लिये	0	379	0	0	0
05	डी.पी.ई.पी. द्वारा प्रदत्त		450	187	254	59	0
06	सर्व शिक्षा अभियान द्वारा			127			

नोट :– सभी विद्यालयो के लिये 750 शौचालय बनाने का प्रावधान है।

10.1.4 विद्यालयों में पेयजल सुविधा –

राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की समुचित एवं निरन्तर उपलब्धता हेतु सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालयों में नल लगाने एवं हैण्ड पम्प लगाने का प्रावधान प्रस्तावित हैं। जिन ग्रामों / कस्बों में जलदाय विभाग / स्थानीय स्तर द्वारा नल सुविधा उपलब्ध हैं, उन ग्रामों / कस्बों में स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु नल कनेक्शन दिये जाने हैं। पानी की निरन्तरता बनाये रखने हेतु जल संग्रह के लिये टंकी भी निर्मित किये जाने का प्रावधान रखा गया हैं । नल सुविधा हेतु यूनिट लागत 20,000 रूपयें तथा हैंण्ड पम्प हेतु 50,000 रूपये हैं। डी.पी.ई.पी. योजना की समाप्ति के पश्चात् शेष बचे प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 101 नलकनेक्शन के प्रस्ताव लिये गये हैं। नल कनेक्शन हेतु 2020000 रूपयें प्रस्तावित हैं। हैण्ड पम्प डी0पी0ई0पी0 से शेष बचे 190 विद्यालयों में दिये जाना प्रस्तावित हैं। हैण्डपम्प हेतु 95 लाख रूपये प्रस्तावित है।

सारणी : पेयजल सुविधा

क0सं0	विवरण		प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	रा0गा0 पा0	शिक्षाकर्मी विद्यालय	वैकल्पिक विद्यालय
01	विद्यालयकी संख्या		593	269	406	89	64
02	सुविधा सहित	हैंडपम्प	287	40	144	44	0
		नल कनेक्शन एवं टैंक	12	6	0	0	0
03	डी.पी.ई.पी द्वारा प्रदत्त	हैंडपम्प	189	93	206	34	0
		नल कनेक्शन एवं टैंक	58	28	8	1	0
04	सर्व शिक्षा द्वारा प्रदत्त	हैंडपम्प		69			38
		नल कनेक्शन एवं टैंक	25	20			

10.1.5 रैम्प्स :–

प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में विकालांग बालकों के विद्यालय भवन में आने की कठिनाई को दूर करने के लिए सीढ़ियों के साथ–साथ रैम्पस सुविधा का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में लिया गया हैं। रैम्पस की उपलब्धता से विकलांग बालक–बालिका बिना किसी अन्य व्यक्ति की मदद लिए पैदल अथवा कृत्रिम उपकरण / ट्राई साईकिल पर चलकर विद्यालय भवन में पहुंच सकता हैं। रैम्पस हेतु न्यूनतम यूनिट लागत 20000 रूपयें प्रस्तावित की गई हैं।

रैंमस सारणी

क0सं0	विवरण	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	रा0गा0 पा0	शिक्षाकर्मी विद्यालय	वैकल्पिक विद्यालय
01	विद्यालयकी संख्या	593	269	406	89	64
02	सुविधा सहित	0	0	0	0	0
03	डी.पी.ई.पी द्वारा प्रदत्त	0	0	0	0	0
04	सर्व शिक्षा द्वारा प्रदत्त	593	269	406	89	64

संकुल संदर्भ केन्द्र :– 56 केन्द्रो के अलावा इस योजना में 15 संकुल केन्द्र नये बनाये जायेगे। जिनके भवनो का निर्माण भी प्रति संकुल केन्द्र 2 लाख रूपये के हिसाब से कुल 30 लाख रूपये के बजट का प्रावधान है।

लघु मरम्मत :–

वर्ष	लघु मरम्मत	प्रा.वि.	उच्च प्रा.वि.
प्रथम	200	75	125
द्वितिय	100	35	65
तृतीय	75	20	55
चतुर्थ	50	20	30
कुल	425	150	275

लघु मरम्मत में ऐसे कमरों के कार्यो को लिया गया है जिनकी लागत 25000 रू. है । इसमें उक्त सारणी के अनुसार प्रा. व. उच्च प्रा.वि. में निर्माण कराये जायेंगें ।

दीर्घ मरम्मत

वर्ष	दीर्घ मरम्मत	प्रा.वि.	उच्च प्रा.वि.
प्रथम	100	20	80
द्वितिय	120	30	90
तृतीय	60	25	35
चतुर्थ	35	15	20
कुल	395	90	305

दीर्घ मरम्मत में ऐसे कमरों के कार्यो को लिया गया है जिनकी लागत 25000 रू. से अधिक है । इसमें उक्त सारणी के अनुसार प्रा. व. उच्च प्रा.वि. में निर्माण कार्य कराये जायेंगें ।

चारदीवारी :– सर्व शिक्षा अभियान में प्रति वर्ष 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । जिसको विभिन्न विद्यालयों में आवश्यकतानुसार जहां चारदीवारी नहीं है वहां लागत अनुमन के आधार जनसहयोग से प्राप्त राशि के साथ चारदीवारी का निर्माण करवाया जायेगा ।

अध्याय–11

लागत मूल्यांकन

2002–2010

ADDITIONAL PARA TEACHERS & CLASSROOMS

DISTRICT:KARAULI

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-010
No. of childern 6-11 age group	166264	171245	176376	181660	187103	192708	198982	
No. of childern 11-14 age group	98991	101957	105011	108158	111398	114736	118173	
No. of childern 6-14 age group	265255	273202	281387	289818	298501	307444	317155	0
Enrolment in I To VIII class	244712	273202	281387	289818	298501	307444	317155	
Enrolment in AS/EGS	29055	20335	11735	7375	455			
Enrolment in Private school	62311	68301	70347	72455	74625	76861	79289	
Enrolment in Govt school	153346	184567	199305	209989	223421	230583	237866	0
No. Teacher 1:40	3834	4614	4983	5250	5586	5765	5947	0
Post Sanctioned	3668							
No.of additional teacher required	166	781	368	267	336	179	182	0
No of classrooms required		781	368	267	336	179	182	

Status Schools & Upgradition

DISTRICTKARAULI

Year	Position of Schools						Upgadation		Position after upgradition					
	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total	PS	UPS	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total
2002-03	604	254	545	96	38	1537		23	581	277	545	96	38	1537
2003-04	581	277	545	96	64	1563	218	3	796	280			64	1140
2004-05	796	280	0	0	64	1140	215	78	933	358				1291
2005-06	933	358	0	0	0	1291	109	72	970	430				1400
2006-07	970	430	0	0	0	1400	173	36	1106	467				1573
2007-08	1106	467	0	0	0	1573		58	1049	524				1573
2008-09	1049	524	0	0	0	1573		0	1049	524				1573
2009-10	1049	524	0	0	0	1573		0	1049	524				1573
								0	0	0				0

अध्याय–12

वार्षिक कार्य

योजना एवं बजट

2003–2004

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Ph	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	31048	262.356		0.000	31048	262.356
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	3	1.500		0.000	3	1.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	3	2.700	0	0.000	3	2.700
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	23	27.600	26	31.200	49	58.800
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	3	1.890	0	0.000	3	1.890
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	46	38.640	75	63.000	121	101.640
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	50	60.000		0.000	50	60.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	25	12.500		0.000	25	12.500
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	20000	20.000		0.000	20000	20.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600		0.000	10	25.600
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	15	54.000		0.000	15	54.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	20	2.000		0.000	20	2.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	5	1.000		0.000	5	1.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000		0.000	40	8.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	40	5.000		0.000	40	5.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	20	5.000		0.000	20	5.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	557	27.850		0.000	557	27.850
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	279	13.950		0.000	279	13.950
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	86	8.600		0.000	86	8.600
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	86	54.180	86	54.180	172	108.360
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000	86	72.240	86	72.240
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	86	11.610	0	0.000	86	11.610
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000	86	17.544	86	17.544
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	557	0.000	0	0.000	557	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	279	5.580	0	0.000	279	5.580
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1932	0.000	258		2190	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2125	10.625	101	0.505	2226	11.130
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1846	0.000	172		2018	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2125	0.000	101	1.414	2226	1.414

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.3	Refresher Course for Untrained Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	86	1.806	86	1.806	172	3.612
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2232	1.339	0	0.000	2232	1.339
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	506	6.072		0.000	506	6.072
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	557	7.798	0	0.000	557	7.798
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	279	0.000	0	0.000	279	0.000
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040		0.000	1	2.040
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440		0.000	1	1.440
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480		0.000	1	0.480
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Base Project					
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.400		0.000	5	5.400
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600		0.000	5	0.600
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500		0.000	5	0.500
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200		0.000	5	4.200
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625		0.000	5	0.625
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300		0.000	5	0.300
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250		0.000	5	0.250
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	56	1.400		0.000	56	1.400
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	56	1.344		0.000	56	1.344
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	56	0.560		0.000	56	0.560
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350		0.000	3000	25.350
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	836	8.360	0	0.000	836	8.360
	21.2	Doveloping Awamess Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	224	4.480		0.000	224	4.480
		Grand Total				**876.455**		**241.889**		**1118.344**
		Total of Civil work				245.600		0.000		245.600
		% of Civil works				28.02		0.00		21.96
		Total of Management				28.490		0.000		28.490
		% of Management				3.25		0.00		2.55

अध्याय–13

वार्षिक कार्य

योजना

2002–2010

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	31048	262.356	25721	217.34245	20127	170.07315	14253	120.438	91149	770.209
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			3		25		29		29	0.000	86	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	3	1.500	25	12.500	29	14.500	29	14.500	86	43.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	3	2.700	25	22.500	29	26.100	29	26.100	86	77.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	23	27.600	26	31.200	51	61.200	80	96.000	180	216.000
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	3	1.890	25	15.750	29	18.270	29	18.270	86	54.180
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	46	38.640	75	63.000	128	107.520	211	177.240	460	386.400
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	50	60.000	100	120.000	125	150.000	200	240.000	475	570.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	25	12.500	50	25.000	50	25.000	75	37.500	200	100.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	20000	20.000	20500	20.500	21000	21.000	21500	21.500	83000	83.000
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600	15	38.400	15	38.400	10	25.600	50	128.000
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	15	54.000	30	108.000	30	108.000	34	122.400	109	392.400
	6.3	Toilets	Number	0.1	20	2.000	20	2.000	20	2.000	20	2.000	80	8.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000	80	40.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	5	1.000	10	2.000	15	3.000	15	3.000	45	9.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000	60	12.000	100	20.000	100	20.000	300	60.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	40	5.000	60	7.500	80	10.000	100	12.500	280	35.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	20	5.000	40	10.000	60	15.000	80	20.000	200	50.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500	150	37.500	150	37.500	150	37.500	500	125.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	557	27.850	640	32.000	701	35.050	758	37.900	2656	132.800
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	279	13.950	282	14.100	307	15.350	336	16.800	1204	60.200
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			86		86		86		86		344	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	86	8.600	86	8.600	86	8.600	86	8.600	344	34.400
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	86	54.180	86	54.180	86	54.180	86	54.180	344	216.720
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	86	72.240	172	144.480	258	216.720	516	433.440
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	86	11.610	86	11.610	86	11.610	86	11.610	344	46.440
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	86	17.544	86	17.544	86	17.544	258	52.632
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	86	19.608	86	19.608	172	39.216
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	86	21.672	86	21.672
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	557		640		701		758		2656	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	279	5.580	282	5.640	307	6.140	336	6.720	1204	24.080
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1932		2104		2276		2448		8760	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2125	10.625	2201	11.005	2287	11.435	2399	11.995	9012	45.060
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1846		1932		2018		2104		7900	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2125		2201	30.814	2287	32.018	2399	33.586	9012	96.418

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	501	21.042		0.000		0.000	501	21.042
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	86	1.806	172	3.612	258	5.418	344	7.224	860	18.060
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2232	1.339	2256	1.354	2456	1.474	2688	1.613	9632	5.779
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	506	6.072	506	6.072	506	6.072	506	6.072	2024	24.288
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	557	7.798	640	8.960	701	9.814	758	10.612	2656	37.184
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	279		282	3.948	307	4.298	336	4.704	1204	12.950
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000		0.000		0.000	1	1.200	1	1.200
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040	1	2.040	1	2.040	4	5.100	7	11.220
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440	1	1.440	1	1.440	3	2.880	6	7.200
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000		0.000		0.000	1	0.900	1	0.900
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000		0.000		0.000	1	0.840	1	0.840
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000		0.000		0.000	1	0.600	1	0.600
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000		0.000		0.000	1	0.300	1	0.300
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480	1	0.480	1	0.480	4	0.960	7	2.400
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000		0.000		0.000	3	0.459	3	0.459
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000		0.000		0.000	1	0.153	1	0.153
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000		0.000		0.000	5	2.100	5	2.100
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	[illegible]		[illegible]							
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	[illegible]
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000		0.000		0.000	5	4.900	5	4.900
	17.3.2	Salary of Resource Person APO	Number	1.44		0.000		0.000		0.000	15	10.800	15	10.800
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000		0.000		0.000	5	3.600	5	3.600
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.400	5	5.400	5	5.400	5	5.400	20	21.600
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	0	0.000	0	0.000	5	1.500	5	1.500
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0.000	0	0.000	0	0.000	5	1.200	5	1.200
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	0	0.000	0	0.000	5	0.765	5	0.765
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000		0.000		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600	5	0.600	5	0.600	5	0.600	20	2.400
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500	5	0.500	5	0.500	5	0.500	20	2.000
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200	5	4.200	5	4.200	5	4.200	20	16.800
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000		0.000		0.000	56	33.600	56	33.600
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625	5	0.625	5	0.625	5	0.625	20	2.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300	5	0.300	5	0.300	5	0.300	20	1.200
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250	5	0.250	5	0.250	5	0.250	20	1.000
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	56	1.400	56	1.400	56	1.400	56	1.400	224	5.600
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	56	1.344	56	1.344	56	1.344	56	1.344	224	5.376
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	56	0.560	56	0.560	56	0.560	56	0.560	224	2.240
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350	2500	21.125	2000	16.900	1500	12.675	9000	76.050
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	836	8.360	922	9.220		0.000		0.000	1758	17.580
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	224	4.480	224	4.480	224	4.480	224	4.480	896	17.920
		Grand Total				**876.455**		**1223.457**		**1372.753**		**1707.479**		**5180.143**
		Total of Civil work				245.600		422.400		468.900		580.500		1717.400
		% of Civil works				28.02		34.53		34.16		34.00		33.15
		Total of Management				28.490		26.04		26.04		93.937		179.907
		% of Management				3.25		2.13		1.90		5.50		3.47

PHYSICAL NUMBERS

DISTRICT :- Karauli

S.N.	NAME OF ACTIVITIES	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	Additional Teachers	381	268	167	226	179	182	
3	Enrolment in RGSJP	20335	11735	7375	455			
4	Upgraditation of PS to UPS	3	78	72	26			
5	Additional Class Room in PS							
6	Additional Class Room in UPS	200	300	300	316			
7	HM Room in UPS		150	100	50			
8	SC/ST Boys in UPS	14000	17000	20000	23000			
9	Construction of School Building (Five Rooms)	0	23	21	20			
10	Construction of School Building (Three Rooms)	1	37	33	27			
11	Toilets	40	26	35	26			
12	Handpump/ Tanka	35	32	25	15			
13	PHED Connections	45						
14	Ramps	50	50	50	50			
15	Construction of BRC							
16	Construction of CRC	15						
17	Boundary Wall	1	1	1	1			
18	Minor Repairs	200	100	75	50			
19	Major Repairs	180	120	60	35			
20	Provision of Play Elements to School	400	158					
21	Primary School	713	850	923	995			
22	Upper Primary School	357	425	461	498			
23	Sanskrit/ others School	138	138	138	138			
24	Upgradation of EGS/AS to Primary School	218	295	109	109			
25	Upper Primary School (None Covered in OBB)							
26	Teachers in Primary School	1703	2357	3242	3569			
27	Teachers in Upper Primary School	2131	2143	2455	2743			

28	Teachers in Sanskrit School	420	420	420	420			
29	No of SMC	1693	1693	1693	1693			
30	No. of Disabled Children	1248	1248	1248	1248			
31	No. of Blocks	5	5	5	5			
32	No .of Clusters	71	71	71	71			
33	**Interventions for Out of School Children**							
34	No. of Children in Upper Primary School	1000	1000	1000	1000			
35	Enrollment Under AIE	200	200	200	200			
36	Enrollment Under NGO	1645	2000	2000	2000			
37	Education for Migratory Children	50	50	50	50			
38	Education for Working Children	200	200	200	200			
39	Bridge Course Residential (20 Children 3 Month)	48	48	48	48			
40	Bridge Course Non Residential (20 Children 3 Month)	32	32	32	32			
41	No. of Village	794	794	794	794			
42	No. of Panchayat	224	224	224	224			

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	31048	262.356		0.000	31048	262.356
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	3	1.500	23	11.500	26	13.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	3	2.700		0.000	3	2.700
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	23	27.600		0.000	23	27.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	3	1.890		0.000	3	1.890
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	46	38.640		0.000	46	38.640
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	50	60.000	73	87.600	123	147.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	25	12.500		0.000	25	12.500
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	20000	20.000		0.000	20000	20.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600		0.000	10	25.600
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	15	54.000		0.000	15	54.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	20	2.000	137	13.700	157	15.700
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	5	1.000		0.000	5	1.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000		0.000	40	8.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	40	5.000		0.000	40	5.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	20	5.000		0.000	20	5.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	557	27.850		0.000	557	27.850
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	279	13.950		0.000	279	13.950
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	86	8.600		0.000	86	8.600
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	86	54.180		0.000	86	54.180
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	86	11.610		0.000	86	11.610
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	557	0.000		0.000	557	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	279	5.580		0.000	279	5.580
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1932	0.000			1932	0.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2125	10.625		0.000	2125	10.625
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1846	0.000			1846	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2125	0.000	1228	17.192	3353	17.192
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	86	1.806		0.000	86	1.806
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2232	1.339		0.000	2232	1.339
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	506	6.072		0.000	506	6.072
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	557	7.798		0.000	557	7.798
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	279	0.000	290	4.060	569	4.060
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040		0.000	1	2.040
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440		0.000	1	1.440
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480		0.000	1	0.480
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	**Recouring Expanditure**	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.400		0.000	5	5.400
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600		0.000	5	0.600
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500		0.000	5	0.500
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200		0.000	5	4.200
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625		0.000	5	0.625
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300		0.000	5	0.300
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250		0.000	5	0.250
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	56	1.400		0.000	56	1.400
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	56	1.344		0.000	56	1.344
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	56	0.560		0.000	56	0.560
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350		0.000	3000	25.350
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	**Mobilisation Activities at Village Level**	**school**	0.01	**836**	**8.360**		0.000	**836**	8.360
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	224	4.480		0.000	224	4.480
		Grand Total				**876.455**		**134.052**		**1010.507**
		Total of Civil work				245.600		101.300		346.900
		% of Civil works				28.02		75.57		34.33
		Total of Management				28.490		0.000		28.490
		% of Management				3.25		0.00		2.82

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016